लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
…gated
On 1-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची

CONTENTS

संख्या 10, शुक्रवार, 1 अगस्त, 1975/10 श्रावणा, 1897 (शक)

No. 10, Friday, August 1, 1975/Sravana 10, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1-3
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	3
लोक लेखा समिति के सभापति को सिटी सिविल कोर्ट कलकत्ता से प्राप्त समन के बारे में	Summons received by the Chairman, Public Accounts Committee from City Civil Court, Calcutta	3
आर्थिक प्रगति के नये कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्ताव	Motion Re. New Programme for Economic Progress	4-43
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	4
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo	5
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephan	7
डा० कर्णसिंह	Dr. Karan Singh	8
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	10
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	12
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar	13
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi	14
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	15
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	16
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani	18
श्री चन्दुलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	20
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	21
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	Shri Vishwanath Pratap Singh . .	21
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Rama Krishna Reddy . .	22
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	23
श्री धरनीधर दास	Shri Dharnidhar Dass	24
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	24
श्री अरबिन्द बाला पजनौर	Shri Arvinda Bala Pajanor	26

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli . .	26
श्री नारायण चन्द पराशर	Shri Narain Chand Parashar . .	27
श्री एम० कत्तामुतु	Shri M. Kathamuthu . . .	28
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	30
डा० दरबारा सिंह	Shri Dsarbara Singh . . .	31
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhry . .	32
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Sayed Ahmed Aga . . .	33
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait . .	34
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana . . .	36
श्री नाथु राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . . .	36
श्री के० मायाथेवर	Shri K. Mayathevar . . .	37
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	38
श्री शिव नाथ सिंह	Shri Shivnath Singh . . .	42
श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman . . .	43
श्री मूल चन्द डागा	Shri Mool Chand Daga . . .	43
सभा की बैठकों के बारे में वक्तव्य :	Statement resittings of the House :	
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah .	42

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (बारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूच्चिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव)

किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)

किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)

किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)

कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)

कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)

कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)

कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)

केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण)

केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)

कोत्ताशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)

कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)

कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)

कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)

कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)

कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)

कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)

कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हुस्कोटे)

कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)

गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)

गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)

गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)

गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)

गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)

गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)

गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)

गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)

गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)

गुह, श्री समर (कन्टाई)

गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)

गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)

गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)

गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)

गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)

गोपाल, श्री के० (करूर)

गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)

गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)

गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)

गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)

गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)

गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)

गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)

गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)

गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दवान)

चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डांडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)

पजनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (ब्राह्म नीपुर)
पाटिल, श्री अान्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिक लाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगांव)
बरूआ, श्री बेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, (श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वंशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदांयू)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विश्वखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर)
रामकवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रावर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फ़ूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फ़िलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री राबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(ह)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)
हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री एच० के० एल० भगत

श्री इससाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफ़न

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री .	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

मंत्रालयों/विभागों के प्राभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	महिषी डा० सरोजिनी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एल० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ़० एस० मोहसिन

1273 LS—2

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 1 अगस्त 1975/10 श्रावण, 1897 (शक)

Friday, August 1, 1975/Sravana 10, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बिहार और पश्चिम बंगाल परिसीमन आयोग के आदेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): मैं परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) बिहार राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 43 जो दिनांक 30 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 291(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 45 जो दिनांक 30 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 290(ङ) में प्रकाशित हुआ था। ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 9913/75]

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1973-74 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एस० त्रिवेदी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[पुस्तकालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 9914/75]

नारियल जटा बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन उपनियम, 1975

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : श्री जियाउर्रहमान अंसारी की ओर से मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 27 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किये गये नारियल जटा बोर्ड सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) संशोधन उपनियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 2279 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 9915/75]

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : श्री प्रभुदास पटेल की ओर से मैं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के खंड (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 418(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 9916/75]

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1973-74, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1972–73 और भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : श्री डी० पी० यादव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्कालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 9917/75]

(2) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के प्रतिष्ठापन-पत्र तथा नियमों के नियम 45 के अन्तर्गत भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9918/75]

(3) (एक) भातीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 9919/75]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महा-सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 29 जुलाई, 1975 को पास किये गये दिल्ली विक्रय कर विधेयक, 1975 के बारे में लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा 31 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 30 जुलाई, 1975 को पास किये गये बैंककारी सेवा आयोग विधेयक, 1975 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

लोक लेखा समिति के सभापति को सिटी सिविल कोर्ट, कलकत्ता से प्राप्त समन

SUMMONS RECEIVED BY THE CHAIRMAN, P.A.C. FROM THE CITY CIVIL COURT, CALCUTTA

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह जानकारी देनी है कि लोक सभा की लोक लेखा समिति के नाम, जिसका प्रतिनिधित्व उसके सभापति करते हैं, सिटी सिविल कोर्ट रजिस्ट्रार बैंच, कलकत्ता से 30 जुलाई, 1975 को एक समन प्राप्त हुआ है। चूंकि यह मामला संसदीय समिति की कार्यवाही, संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों तथा संसदीय समितियों के सम्बन्ध में है इसलिए मैं इसे सभा के समक्ष रख रहा हूं।

जैसी कि सभा की प्रथा रही है मैं लोक सभा लेखा समिति के सभा को समन को अवदेखा करने और न्यायालय में उपस्थित न होने के लिए कह रहा हूं।

मैं उपयुक्त कागजात विधि मंत्री को भी भेज रहा हूं ताकि वह इस सम्बन्ध में सही सही संवैधानिक स्थिति से न्यायालय को अवगत करने के लिए जो कार्यवाही करना चाहें कर सकें।

आर्थिक प्रगति के नये कार्यक्रम के संबंध में प्रस्ताव
MOTION RE. NEW PROGRAMME FOR ECONOMIC PROGRESS

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : जैसा कि मैंने कल बताया था इस कार्यक्रम की सभी बातें नई नहीं हैं। इस कार्यक्रम में जो नई बात है वह यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कार्य योजनाओं क्रमों को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए महत्व दिया गया है। यह आर्थिक कार्यक्रम तथा इसके बाद के सभी उपाय, जैसा प्रधान मंत्री अपने 1 जुलाई के प्रसारण में बता चुकी हैं, आपात स्थिति के अभिन्न अंग हैं। गत कुछ दिनों से हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। इस अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमने जो उपाय किए वे जारी रखने पड़ेंगे। चूंकि प्रधान मंत्री ने आपात स्थिति को समाप्त करने की इच्छा प्रकट कर दी है इसलिए यदि हम इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना चाहते हैं तो हमें सभी आवश्यक उपाय जारी रखने पड़ेंगे। देश के सभी वर्गों ने इन कार्यक्रमों का समर्थन किया है। उन्होंने इस आपात स्थिति का स्वागत किया है तथा वे इस आपात स्थिति में सभी प्रकार के कष्ट सहन करने को तैयार हैं तथा हमें इन कार्यक्रमों के रास्तों में आने वाली सभी बाधाओं को हमेशा के लिए दूर कर देना होगा।

मैं प्रधान मंत्री की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इस आपात स्थिति तथा तत्पश्चात् किए गए उपायों से राष्ट्र के अन्दर विश्वास तथा अनुशासन की भावना पैदा हो गई है तथा इसका संकेत इस बात से मिलता है कि हम गरीबी तथा प्रतिक्रिया के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने जा रहे हैं।

मैं इस कार्यक्रम के सभी 20 सूत्रों और उस सम्बन्ध में किए गए उपायों का स्वागत करता हूं परन्तु हमें इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की व्यवस्था ग्राम स्तर पर करनी पड़ेगी जो एक कठिन कार्य है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे सम्पूर्ण देश में पंचायती राज है। हम पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा इन कार्यक्रमों को शीघ्र क्रियान्वित कर सकते हैं।

यद्यपि मूल्यों की स्थिति उत्साहजनक है तथापि हमें पता चला है कि कुछ स्थानों पर आवश्यक वस्तुओं के मूल्य फिर से बढ़ रहे हैं। मूल्यों को केवल उचित स्तर पर रखना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि गरीब लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

यह सही है कि 50 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है जिससे कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो सके। सिंचाई हमारी फसलों को बाढ़ से बचाने के लिए भी जरूरी है। बाढ़ से फ़सलों की रक्षा करना एक दीर्घकालीन उपाय है परन्तु इस समय हमें अपनी सिंचाई क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहिए जिससे पूर्वी राज्यों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सर्दियों में भी फसल हो सके।

उठाऊ सिंचाई तथा पम्पों के लिए बिजली आवश्यक है परन्तु दुर्भाग्यवश इन राज्यों में बिजली की कमी है। यदि गांवों में बिजली हो तो लोग उठाऊ सिंचाई के लिए तथा पम्पों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आशा है सरकार इस दिशा में उचित उपाय करेगी।

हमें अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजना को भी अन्तिम रूप देना चाहिए तथा हमारे पास एक 15 वर्षीय परिपेक्ष्य भी होना चाहिए। यदि हम इस योजना को शीघ्र अन्तिम रूप नहीं देंगे तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा बताया गया है कि क्योंकि हमारे पास साधन नहीं हैं इसलिए इसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता। परन्तु मेरा कहना है कि हमारे साधन चाहे कुछ भी हों हमें इस योजना को अन्तिम रूप देना चाहिए तथा जब अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो जाएंगे हम इस योजना को और बढ़ा सकते हैं।

मैंने माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर संशोधन पेश किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि "यह सभा इस कार्यक्रम पर विचार करती है।" मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि "और इसको स्वीकार करती है और सभा सम्बन्धित लोगों से अनुरोध करती है कि इसे कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र प्रभावशाली कदम उठाए जाएं।" प्रस्ताव सामने आ गया है परन्तु हमें इस इन्तजार में नहीं रहना चाहिए कि सरकार हमें क्या करने के लिए कहती है। सभी सम्बन्धित लोगों को स्वयं पहल लेनी चाहिए। सरकार उनकी सहायता अवश्य करेगी।

मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन पर विचार करें तथा सभा से भी प्रार्थना करूंगा कि वह इसे स्वीकार करें।

Shri Ram Hedaoo (Ramtek): This progressive measure of 20 point economic programme is aimed at opening the gates of economic uplift to the people at large. Price rise, unemployment and corruption has been continuing in the country for centuries and a handful of people had been indulging in economic and social exploitation of the masses. This programme is a challenge to the forces which wanted to destory democracy while posing to be protagonists of democracy. I welcome this programme. People have been given a big opportunity to prove their patriotism by extending their fullest cooperation in implementing this programme of national uplift, optimum production in all spheres, fair distribution of commodities to people at reasonable rates are all appreciable measures and the betterment of the lot of agricultural labour also finds place in this programme. Due attention, however belated, has also been paid to agriculture. The hopeful eyes of the masses are central on the leadership of Shrimati Indira Gandhi. If this programme remains on paper they will be shocked. Therefore, I plead that the programme for economic amelioration of the weaker, hitherto exploited and neglected sections such as agricultural labour, Harijan Tribals, should be implemented with zeal although the vested interests will try to fruetify the efforts of the Government. Unless and until the riches are abolished, the poverty cannot be banished.

I feel that this programme is not the ultimate and or sufficient, but it is a welcome beginning in the right direction. It has got to be improved upon. I will suggest that there should be prohibition throughout the country so that the social, economic and national status of the common man may be improved upon.

The consumption of liquor has been increasing constantly in the rural areas. While Gandhiji pleaded for prohibition, we find now the number of liquor shops going up which is affecting the new generation adversely. Many poor families are ruined by addition to liquor. However, it suits the motives of the capitalists who own the distilleries. I, therefore, plead that prohibition be made a part of 20 point programme. Secondly, I will advocate the abolition of right to property, movable or immovable and all property should belong to the nation. Thirdly, all cultivable Government land lying idle should be distributed among the landless agriculturists and every sort of possible help should be extended to them for cultivating this land, or will help increase agricultural production. Fourthly, production of coloured sarees by powerlooms and mills should be banned and reserved for handlooms as recommended by the Asoka Mehta Committee since they cannot compete with the powerlooms. Then weavers should not be left at the mercy of cooperatives but Government should deal with them directly and install handlooms in the weavers' colonies. Children of weavers should be provided all facilities for studies and they should be treated as a backward class. There should be reservation for them in jobs and all facilities available to tribals should be extended to them.

Rickshaw pulling is a very inhuman profession. In Madras it has been banned but the practice continues in Calcutta and other places. It should be banned throughout the country and the rickshaw pullers should be provided auto-rickshaws and the cost may be recovered from them on long-term instalments.

All the educational institutions should be taken over by Government and the entire educational structure should be nationalised and education should be free in the country. The grants given by Government for educational purposes are misused. We find that institutions with no students manage to get grants from Government and students exist only on record. Then teachers give acquittance for Rs. 350 per month but are actually paid Rs. 60 or 70 only. Thus large scale corruption is rampant in these institutions. I am sorry to say that some of these institutions are being run by some leaders from *Gram Panchayat* level to Lok Sabha level. Payment of salary by cheques could not improve the situation as the teacher had to pay the share to the management or face dismissal. Therefore, nationalisation is the only remedy.

I will suggest that the educational institutions throughout the country, which only add to the number of educated unemployed persons, should be closed down for two years and the services of students and teachers may be utilised for national development and 20-point programme. Where educated or uneducated unemployed persons cannot be provided jobs they may be paid unemployment allowance.

The proprietary rights of private industrialists should be abolished and all the industries should be nationalised. The labour should be granted proprietary rights in factories and mills and the present owners should work there with them. Here emergency has been declared and 20-point programme has been announced but on the other side factories are being closed and workers are being turned out. Government should look into it. All gold holdings should be acquired by Government and all private cash holdings in excess of Rs. 25,000 should be taken over by Government and utilised for nation building.

In rural and urban areas all homeless persons should be given plots for construction of houses. Severe action should be taken against, hoarders, black-marketeers, speculators, corrupt officials and others who try to jeopardize the implementation of 20-point programme. They may be arrested under D.I.R. The leaders now under detention, who pledge their active cooperation in implementation of economic programme may be released. District level committee with the area M.P. as its chairman and collector as its secretary should be set up throughout the country to guide and supervise the implementation of the 20-point programme and the local leaders and workers expressing their firm faith in it may be given representation on these committees.

Decentralisation is essential to provide a clean and efficient administration required for effective implementation of the economic programme. Therefore small states should be created and Vidarbha State should be immediately created. With these words I extend full support and assure full cooperation of my party in implementation of this programme.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिसकी साहसिक कार्यवाही से आज राष्ट्र में स्थायित्व, संयम और आत्म-प्रयोजनशीलता का वातावरण व्याप्त है। अस्थिरता और अराजकता के काले बादल छट गये हैं और भारत की स्थिति अचानक बदल गई है। न तो नये कारखाने खोले गये हैं, न कोई नवीन उत्पादक व्यवस्था स्थापित की गई और न ही कोई महत्वपूर्ण नवीनता लाई गई है। फिर भी उत्पादन बढ़ने लगा है, मूल्यों में गिरावट आ रही है और अराजकता की स्थिति में सुधार हुआ है। अनुशासन की भावना सर्वत्र व्याप्त है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह है कि सरकार ने गत 25 वर्षों में सभी क्षेत्रों में—विज्ञान और प्रौद्योगिकी, औद्योगिक उत्पादन क्षमता, कृषि उत्पादन क्षमता आदि—अपेक्षित व्यवस्था का निर्माण किया था जिस पर हमें गर्व होना चाहिये। परन्तु हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे इसके क्या कारण थे ?

गत 25 वर्षों में कुछ दूषित प्रवृत्तियां पनपी। हमें लोकतंत्रीय स्वतंत्रता प्राप्त थी परन्तु प्रत्येक व्यक्ति का इसके बारे में अपना पथभ्रष्ट दृष्टिकोण था। हमारे यहां राजनीतिक स्वतंत्रता थी परन्तु इसे विनाशकारी प्रयास करने तथा अराजकता फैलाने की अनुमति मान लिया गया। प्रैस की स्वतंत्रता का अर्थ यह लगाया गया कि उसे राष्ट्र के सामने चुनौतियों से कोई सरोकार नहीं। व्यवसाय संघ स्वतंत्रता को राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिये वचनबद्धता के स्थान पर उत्पादक क्षमता को कमजोर करने का साधन माना गया। नौकरशाही ने जनता के सेवक बनने के स्थान पर उन पर शासन करने का मार्ग अपनाया। माल उपलब्ध था परन्तु वितरण व्यवस्था दूषित थी। इसका परिणाम था कि राष्ट्र के टुकड़े होने लगे थे और अराजकता की स्थिति आती जा रही थी। आपात की स्थिति की घोषणा से यह सब रुक गया और प्रत्येक व्यक्ति को स्मरण करा दिया गया कि राष्ट्र-हित सर्वोपरि है।

20 सूत्री कार्यक्रम का विवरण दिया जा चुका है। इसकी मुख्य बात यह है कि राष्ट्र निर्माण मे आम आदमी को प्रमुख स्थान दिया गया है और इसका उद्देश्य आम जनता की स्थिति सुधारना है। अब हमें देखना यह है कि आपात स्थिति के समाप्त होने के बाद भी यही अनुशासन और वातावरण बना रहे। मेरे विचार में लोकतंत्रीय अधिकारों के बारे में हमें पुनर्विचार करना होगा। यदि प्रैस स्वतंत्रता प्राप्त होते हुए चुनाव के पश्चात संसद् द्वारा निर्धारित नीतियों को अग्रसर करने मे योगदान नहीं करता, तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रैस की स्वतंत्रता किसके लिये हो और उसका प्रयोजन क्या हो। भविष्य में प्रैस के लिये कुछ मार्ग दर्शी सिद्धांत बनाने होंगे।

कल सरकारी अधिकारियों को दिये जाने वाले संरक्षणों सम्बन्धी अनुच्छेद 311 का उल्लंघन किया गया था। विभाजन के तुरन्त बाद देश के सामने कुछ चुनौतियां जिनका सामना करने में हमारा प्रशासनिक ढांचा सहायक रहा। इस ढांचे ने देसी रियासतों के देश में विलय में सहायता की। परन्तु आज क्या यह सच नहीं है कि ये लोग राजनीतिक दलों की ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं; मंत्रियों की क्षमता को तिरस्कारपूर्वक देखते हैं; वे आम जनता और उसकी आकांक्षाओं की अपेक्षा करते हैं; उनका दृष्टिकोण वर्गगत है। यह राष्ट्र के लिये एक चुनौती है. मेरे विचार में अनुच्छेद 311 के अधीन दी गई संवैधानिक गारंटियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सरकारी अधिकारी को एक श्रमिक से अधिक संवैधानिक गारंटी पाने का कोई हक नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाये कि दोषी अधिकारी को शीघ्र दंड न दिया जा सके, पदोन्नति भी पंक्तिबद्ध रूप से हो और योग्यता को पुरस्कृत करने में बाधा हो तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय राष्ट्र की प्रगति में रोड़े अटका सके, तो हमें अनुच्छेद 311 पर पुनर्विचार करना होगा। हमें इसके अधीन प्राप्त संरक्षणों के दुरुपयोग को रोकना होगा। यदि सरकारी अधिकारी के साथ अन्याय होता है तो उसके लिये प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाया जा सकता है। इंगलैंड में कोई मूलभूत अधिकार नहीं हैं। संसद द्वारा पारित विधि को क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं घोषित किया जाता। हम कानून बनाते समय देखते हैं कि क्या वह कानून बनाने के लिये संसद् सक्षम है या नहीं। इसके बाद कोई एक न्यायाधीश उसे अवैध घोषित कर देता है और राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है। जहां तक देश की राष्ट्रीय आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, भारत की न्यायपालिका सही दृष्टिकोण का प्रभाव दर्शाती रही है। इस पहलू पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

संसद् में चर्चा का स्तर गिर चुका है। कुछ सदस्य ने इसके कार्यकरण में रुकावटें डाली हैं। पहले इस सभा की कार्यवाही के प्रकाशन का सभा को विशेषाधिकार था। हाउस आफ कामन्स ने एक संकल्प पारित करके सभा की कार्यवाही के प्रकाशन का प्रतिषेध किया था। 1956 में एक अधिनियम द्वारा प्रकाशन को संरक्षण दिया गया। यहां भाषण जनता को गुमराह करने और गैलरी में बैठे लोगों को बहकाने के लिये दिये जाते हैं। क्या इसकी अनुमति होनी चाहिये। अनेक दृष्टिकोणों से इन बातों पर विचार करना होगा।

हमने कुछ प्रमुख लक्षय निर्धारित किये हैं; भूमि सुधार, मकानों के निर्माण आदि के बृहत् कार्यक्रम बनाए गये हैं। इन्हें जनता के सहयोग से ही क्रियान्वित किया जा सकता है। हमने केरल में जनता के सहयोग से भूमि सुधारों को लागू किया है। हमने केरल में लोगों के सहयोग से चार वर्षों में एक लाख मकान बनाये हैं। अधिकारियों पर सब कुछ छोड़ना ठीक नहीं है। लोगों को संगठित करना, उनका सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। हमें समितियां बनानी चाहिये, जिनमें संसद सदस्यों, जनता और विधान सभा सदस्यों को रखा जाना चाहिये और इन समितियों का काम शिकायतों को सुनना और लोगों को तुरन्त राहत और अनुतोष दिलाना होगा।

मैं सरकार, जनता तथा इस सभा में जनता के प्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि न केवल यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाये वरन् राष्ट्रीय जीवन में जो दोष आ गये हैं उन्हें दूर किया जाये और लोकतंत्रीय स्वाधीनता सुनिश्चित की जाये। मैं वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : बीस सूत्री कार्यक्रम में परिवार नियोजन को सम्मिलित न करने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि यह महत्वहीन विषय है। प्रत्येक आर्थिक विकास की आधार शिला परिवार नियोजन

है । स्वाधीनता के बाद हमारे देश को जनसंख्या में 25 करोड़ की वृद्धि हुई है और इस प्रकार हमारे देश में जनसंख्या की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है ।

1974 अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष के रूप में मनाया गया । तब हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखने और परिवार नियोजन के बारे में अपना आधारभूत दृष्टिकोण स्पष्ट करना पड़ा क्योंकि गरीबी की समस्या पर काबू पाने के लिए यह सबसे बड़ा हथियार है ।

मुझे बुखारेस्ट में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का अवसर मिला । उसमें मैंने कहा कि विकास को सर्वोत्तम परिवार-नियंत्रक ठीक ही बताया गया है, परन्तु पश्चिम देशों में प्रैस ने इसका यह अर्थ लगाया कि भारत परिवार नियोजन में रुचि नहीं रखता, वरन् वह तब तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है जब तक आर्थिक विकास न हो जाये । हमारे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे विशाल और पुराना है, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य तथा पोषाहार सम्बन्धी केन्द्रीय विकास योजनाओं के साथ समन्वित किया जाये । पांचवीं योजना में हमने ऐसा ही किया है । यह कार्यक्रम जन कार्यक्रम के रूप में होना चाहिए और शैक्षिक, स्वास्थ्य, सड़क आदि सुविधाओं की तरह परिवार नियोजन की मांग स्वयं जनता की ओर से आनी चाहिए । अब हमने जन्म–दर को 3 प्रति हजार से घटाकर 25 प्रति हजार तक करने का लक्ष्य रखा है ।

यदि हमारे देश के वैज्ञानिक परमाणु विस्फोट कर सकने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं तो वे प्रजनन जीव-विज्ञान तथा गर्भ-निरोधक प्रौद्योगिकी में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं । इस दिशा में देश के सर्वोत्तम वैज्ञानिक लगे हुए हैं । दूसरा पहलू सेवा सम्बन्धी है । हमने इसके लिए परिवार नियोजन को स्वास्थ्य तथा पोषाहार के साथ समन्वित करने का प्रयत्न किया है । उदाहरण के लिए ग्रामों में बच्चों को पोषाहार दिये जाने का विचार है । जहां पर बच्चों के मरने की दर अधिक है वहा पर अधिक बच्चे पैदा होते हैं । चेचक उन्मूलन की दिशा में हमने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है । परन्तु अभी भी डिफ्थोरिया, तपेदिक आदि जैसे रोगों पर पूरा काबू नहीं पाया है । हमने इन्हे परिवार नियोजन कार्यक्रम में शामिल कर लिया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ एक अतिरिक्त डाक्टर और उपकेन्द्र के साथ नर्स मिडवाइफ नियुक्त कर दी हैं ।

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण समस्या प्रेरणा की है । एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि तीन बच्चों के पश्चात् बन्धीकरण अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए । परन्तु जब तक हम अन्य तरीकों से जन्म दर घटाने में सफल न हो सकें तब तक यह किसी चरण में इस तरीके का प्रयोग करना आवश्यक हो सकता है । हमें पूरी आशा है कि भारत की जनता इस कार्यक्रम के प्रति अपना सक्रिय सहयोग देगी । यदि वह ऐसा नहीं करती, तो यह सभा आवश्यक कानून पारित कर सकती हैं । प्रेरणा देने की दिशा में हम अनेक उपाय अपना रहे हैं । उदाहरण लिए उपग्रह कार्यक्रम जो जन-प्रचार का एक नया साधन है उपयोग में ला रहे हैं ।

मैंने परिवार नियोजन सम्बन्धी राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति में नियोजक, कर्मचारी और सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया है । इस प्रकार हमने संगठित क्षेत्र में भी परिवार नियोजन की दिशा में भरसक प्रयत्न किये हैं । पंचायतें ग्रामों की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं । अतः उन्हें इस कार्यक्रम में लगाना आवश्यक है । लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करने में सहकारिता आन्दोलन भी सहायक हो सकता है । इसके अतिरिक्त मैंने स्वयंसेवी संगठनों विशेषकर महिला संगठनों के साथ हाल ही में

विशेष बैठकें की हैं। गैर-नियोजित परिवार की कठिनाइयां मुख्यतः महिलाओं को सहनी पड़ती हैं अतः जब तक इसके लिए महिलाओं को प्रेरित न किया जाये, तब तक हमारे कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते।

इन सबके अतिरिक्त, राजनीतिक नेताओं से परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहयोग लेना आवश्यक है। परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अतः प्रतिरक्षा की तरह इस कार्यक्रम में दलीय स्वार्थों को छोड़कर सहयोग देना चाहिए और स्वयं भी इस दिशा में एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए।

बीस सूत्री कार्यक्रम एक समय-बद्ध आर्थिक कार्यक्रम है जबकि परिवार नियोजन पूर्णतः एक आधारभूत कार्यक्रम है। अतः इसे इन बीस सूत्रों से अधिक प्राथमिकता दी जानी है, ताकि एक नये भारत का निर्माण हो और आगे आने वाली पीढ़ियों का जीवन उत्तम हो।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : मैं प्रधान मंत्री द्वारा घोषित बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार अब इसकी क्रियान्विति पर अधिक ध्यान देगी। जब किसी देश का प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक विकास हो, तो मूल्यों में स्थायित्व उसका गौड़ लक्ष्य बन जाता है। सरकारी कर तथा नियंत्रण व्यवस्था कभी भी इतनी सक्षम नहीं होती कि उससे उपभोग पर अंकुश लग सकें और योजना-बद्ध पूंजी विनियोजन के लिए अपेक्षित बचत हो सके। परम्परागत वस्तुओं का निर्यात प्रायः अधिक नहीं हो सकता कि औद्योगीकरण और भावी आयात प्रतिस्थापन के लिए मशीनरी कलपुर्जे तथा कच्चे माल का आयात बड़ी मात्रा में किया जा सके। अतः विकास गति को बढ़ाने के दौरान योजनाबद्ध पूंजी विनियोजन उपलब्ध बचत से बढ़ने लगता है। इस प्रकार सरकार का बजट असंतुलित हो जाता है और भुगतान शेष में संतुलन नहीं रहता। वित्त मंत्री ने मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कुछ कारगर कदम उठाये हैं और आशा है कि उस का लाभ उपभोक्ता तथा जन साधारण को होगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई खाद्य सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति है। खाद्यान्नों के मामले में सरकार को कीमतों तथा उपलब्धि सम्बन्धी अंतर्राज्यीय विषमताएं दूर करनी चाहिएं। राजनीतिक स्वार्थों के कारण आधिक्य वाले राज्य जानबूझ कर अपने आधिक्य को कम दिखाते हैं और कमी वाले राज्य कमी को अधिक दिखाते हैं। परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि सरकार काफी भंडार इकट्ठा करने का प्रयत्न कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य के लिए इसका कितना लक्ष्य नियत किया गया है और अब तक कितने राज्यों ने यह लक्ष्य पूरा कर लिया है और यदि वे अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते, तो क्या कदम उठाने का विचार है।

वित्त मंत्री के अनुसार आपातकाल की घोषणा के बाद कीमतें घटी हैं, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि मेरे राज्य में कीमतें पिछले एक महीने में बढ़ी हैं। उनका कहना है कि जमाखोरों तथा काला बाजार का काम करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाये गये हैं। परन्तु मेरे राज्य में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आन्तरिक सुरक्षा कानून का कोई उपयोग नहीं किया गया है।

हमारे दल के समर्थकों जैसे कि अन्ना द्रमुक तथा कम्यूनिस्ट पार्टी को अब तक आंसुका के अन्तर्गत डराया धमकाया जा रहा है और लाइसेंस जब्त करने का भय दिखाकर धन इकट्ठा किया जा रहा है।

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए।
SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*]

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य में शक्ति का जो दुरुपयोग हो रहा है क्या उसकी जानकारी उन्हें है।

मैं कृषि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस देश में, जहां कि 70 प्रतिशत जनता कृषि में लगी है, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता लाने की कोई योजना है। अन्तरिक्ष, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा की दिशा में हमारी सभी सफलताएं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई सम्मान तब तक नहीं दिला सकतीं जब तक कि विदेशों से खाद्यान्न आयात करना बंद नहीं करेंगे।

हमारे देश में बेरोजगारी विशेषकर शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। आप इसे कैसे हल करना चाहते हैं। हमारे योजनाकारों ने योजनाओं के बनाने तथा उनकी क्रियान्विति में रोजगार को उचित महत्व नहीं दिया। दूसरी ओर शिक्षा सम्बन्धी नीति भी हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रखी गई। सिद्धांतविद अधिक संख्या में तैयार किये गये जबकि व्यवहारिक वैज्ञानिक तथा प्राद्योगिकी-विद कम संख्या में तैयार किये गये हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल सुधार की आवश्यकता हैं। जनसंख्या में वृद्धि बेरोजगारी का एक दूसरा कारण है। बेरोजगारी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि इस देश में लोग सफेदपोश व्यवसाय को अधिक पसंद करते हैं और शारीरिक परिश्रम से संकोच करते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी व्यापक रूप से फैली हुई है। इसके लिए हमें तेजी से औद्योगीकरण और सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना होगा। सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अप्रयुक्त क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करना होगा तथा रेल, सड़क आदि सेवाओं का विस्तार और आवास कार्यक्रमों, समाज कल्याण आदि योजनाओं को बढ़ाना होगा। हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं परन्तु यहां के लोग निर्धन हैं। अतः वन, तेल, खनिज आदि जैसे इन संसाधनों का विदोहन कर हम हजारों इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी विदों, रसायनविदों आदि को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। यदि सेवा निवृत्ति की आयु 58 से घटाकर 55 वर्ष कर दी जाये तो सरकार अधिक रोजगार दे सकेगी। इसी प्रकार उपरि समय कार्य का भत्ता बंद कर दिया जाना चाहिये। इससे भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

लगभग सभी राज्यों में भूमि-सीमा के बारे में अनेक कानून बने हुए हैं परन्तु उन पर अमल नहीं किया गया है। अधिकांशतः ये भूमि बेनामी है जिसे इस कानून के अन्तगत नहीं लाया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कुछ लोग अभी तक इतनी अधिक भूमि कैसे धारण किये हुए हैं ?

मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि इस देश में दास श्रम की प्रथा समाप्त होने जा रही है। तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों में यह प्रथा पन्नाइयल के नाम से अभी भी है जिसे समाप्त करने के लिए राज्य सरकार को कानून बनाना चाहिए।

खेतिहर मजदूरी नियत करने के लिए एक समान कानून बनाने की आवश्यकता है। कृषि ऋण-ग्रस्तता से राहत त दी गई है परन्तु इसके एवज में कोई अन्य व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामों में बैं ों की स्थापना में लग जायेगा।

प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत ले ली जायेगी, परन्तु केन्द्रीय सरकार को राज्यों के बीच चल रहे नदी विवादों को समाप्त करने के लिए कुछ करना चाहिए ताकि बेकार जाने वाला नदी जल कारगर ढंग से उपयोग में लाया जा सके। इसी प्रकार कुओं के लिए किसान को पर्याप्त धन सुलभ कराया जाना चाहिए।

देश में हथकरघे पर उत्पादित कपड़े का 50 प्रतिशत भाग दक्षिण में बनाया जाता है। दक्षिण-वर्ती राज्यों ने दस करोड़ रुपये की सहायता मांगी है ताकि वे 50 करोड़ रुपये मूल्य के हथकरघे कपड़े की निकासी कर सकें। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने अनुदान के रूप में सहायता देने के बजाये, इन राज्यों को 4 करोड़ रुपये का थोड़ी अवधि वाला ऋण दिया है।

मंत्री महोदय हमें यह बताएं कि यह बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम तमिलनाडु जैसे राज्य में, जहां की सरकार ने आपात स्थिति का विरोध किया है और जो यह कहती है कि वह इस बीस सूत्री कार्यक्रम में से पहले ही 15 या 16 सूत्र क्रियान्वित कर चुकी है, कैसे कार्यान्वित होगा। वह आगे यह कहती है कि केन्द्र हमें विचार या सूत्र नहीं अपितु धन दे जिससे कि राज्य सरकार कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सके।

तमिलनाडु में आज भ्रष्टाचार व घूस खोरी का अत्यधिक बोलबाला है। हर क्षेत्र में, चाहे कालिजों में दाखिला लेना हो, अथवा सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों का प्रश्न हो, बिना घूस दिये कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को संरक्षण दिया जाता है और ईमानदार लोगों को तंग किया जाता है। इसी डर से आज वहां ईमानदार अधिकारी निष्ठा से काम करने में घबरा रहे हैं कि उनका कहीं तबादला न कर दिया जाये अथवा उन्हें तंग न किया जाये। स्थिति यहां तक खराब है कि वहां उच्च न्यायालय तक में भ्रष्टाचार खूब फैला हुआ है।

अतः केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वहां भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए तथा लोगों को उससे मुक्ति दिलाने के लिए हर संभव प्रयत्न करें।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं।

आज स्थिति यह है कि देश में लोगों का नैतिक स्तर बिलकुल गिर गया है, देश में अनुशासन-हीनता का बोलबाला है। मनुष्य देश तथा समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी या कर्त्तव्य की भावना महसूस नहीं कर रहा है। तस्कर, काला बाजार वाले, जमाखोर तथा अन्य सभी लोग गरीब तथा सरल व्यक्तियों को लूट रहे हैं। लोग काफी धन बना रहे हैं। काले धन का खूब परिचालन हो रहा है जिससे देश की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक प्रणाली अस्त-व्यस्त हो रही है। ऐसी स्थिति में यह 20 सूत्री कार्य-क्रम बहुत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। राज्य सरकारों को इसका क्रियान्विति हेतु तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

निदेशक तत्वों का सम्बन्ध आम लोगों के मूल अधिकारों से है जबकि संविधान के भाग iii में उल्लिखित मूल अधिकार कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के ही अधिकार हैं। अब तक दुर्भाग्य से, इन तत्वों की ओर ध्यान नहीं दिया गया, देश के प्रशासन में राज्य नीति के निदेशक तत्वों को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

यदि हमें आर्थिक रूप से देश को मजबूत बनाना है, तो हमें गांवों की स्थिति में सुधार करना होगा। उन्हें शिक्षित करना होगा और उनके रहन-सहन का स्तर ऊंचा करना होगा क्योंकि हमारे देश में 60 से 70 प्रतिशत तक जनता गांवों में रहती है। यही कारण है कि प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में इन लोगों के विकास को प्राथमिकता एवं समुचित महत्व दिया गया है।

कृषि के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। हरित क्रान्ति अधिकतर राज्यों के 'डेल्टा' क्षेत्रों तक ही सीमित रही है। हर राज्य की प्रमुख योजनाओं से उन्हीं लोगों को लाभ हुआ है जो 'डेल्टा' क्षेत्रों में रहते हैं। इनसे अन्य क्षेत्रों के लोगों को लाभ नहीं पहुंचा है जिससे, इन लोगों का उचित विकास नहीं हो पाया है। राज्य सरकारों के पास संसाधनों का अभाव है। इस बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र को चाहिए कि वह राज्यों को आवश्यक सहायता दे।

उड़ीसा में बोध नदी पर एक मध्यम सिंचाई योजना है जो विगत 14 वर्षों से पूरी नहीं हो पायी है। हालांकि इसे जल्दी पूरा करने के लिए सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया था। इसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी शामिल नहीं किया गया है। इसके पूरा होने पर 10,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। स्थिति ऐसी है कि राज्य सरकार के पास धन नहीं है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को आवश्यक सहायता देकर इसे पूरा करवाना चाहिए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके साथ-साथ गांवों में कुएं खुदवाये जाने चाहिएं जिससे कम-से-कम 10 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। हर गांव में इससे सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है।

गांवों के विकास के लिए समेकित विकास योजनाएं चालू की जानी चाहिए। ब्लाक (खण्ड) को एक एकक के रूप में लेकर उसका समेकित ढंग से विकास किया जाना चाहिए ताकि जिन लोगों के पास जमीन है उनके पास कुएं भी हो सकें। जिनके पास भूमि न हो, उन्हें मुर्गीपालन आदि कार्य शुरू करने के लिए कहा जाना चाहिए जिससे कि गरीब तथा निर्धन लोगों के लिए रोजी कमाने का कोई न कोई साधन अवश्य होना चाहिए।

गोदावरी जल विवाद अभी तक हल नहीं हो पाया है जिस कारण उड़ीसा को कोई परियोजना क्रियान्वित नहीं करने दी जाती है। राज्यों में ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय दृष्टिकोण की भावना से काम लिया जाना चाहिए ताकि अन्य राज्य कुछ हद तक पानी का उपयोग कर सकें।

श्री निंबालकर (कोल्हापुर) : आपात स्थिति लागू किये जाने पर देश में रुग्ण लोकतंत्र को नया बल मिला है। इस बीच देश के समक्ष जो बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम रखा गया है उसके अन्तर्गत ग्रामीण ऋण भार की समस्या पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और किसानों की सामाजिक स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए। अधिकतर मामलों में यही देखा जाता है कि किसान अपने आर्थिक दायित्वों को पूरा करने के लिए नहीं अपितु अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए ही धन लेते हैं। वे प्रायः अपनी पुत्रियों की शादियों के लिए या किन्हीं धार्मिक कृत्यों के निर्वहन के लिए ऋण लेते हैं। किसान को बैंकों की अपेक्षा ग्रामीण महाजनों से जल्दी ऋण मिल जाता है। अतः हमें किसानों में इन सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए पहले से ही तैयार रहने की भावना पैदा करके उन्हें पूरा करने हेतु उनकी मदद करनी होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार 50 बैंक खोलने का विचार कर रही है। वास्तव में किसान बैंकों से ऋण तो किसी बहाने लेता है किन्तु वह उसे खर्च अन्यत्र करता है। अतः ये लोग सदैव ऋणग्रस्त रहते हैं। अतः प्रशासनिक बैंकों का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे लोगों को केवल निरीक्षण हेतु ही नियुक्त न करें अपितु किसानों को आर्थिक जीवन को इस प्रकार मोड़ने में सहायता भी करें जिससे कि वे उस धन का, जो उन्होंने ऋण लिया है, प्रयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए करें जिसके लिए उन्होंने वह लिया है।

शिक्षा के बारे में आज लोगों की धारणा यह है कि शिक्षा रोजगारोन्मुखी नहीं है जो सच नहीं है। हमारी शिक्षा रोजगारोन्मुखी है। आज देश को ऐसी शिक्षा की जरूरत नहीं है जो रोजगारोन्मुखी हो बल्कि शिक्षोन्मुखी रोजगार की आवश्यकता है क्योंकि सर्वप्रथम वस्तुज्ञान होना जरूरी है। प्रशिक्षु होने के लिए बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है।

जहां तक शहरी सम्पत्ति का प्रश्न है, ऐसी शंका व्यक्त की गई है कि शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले कानून को इस प्रकार लागू किये जाने की संभावना है जिससे हिन्दू परिवारों को भारी क्षति होगी। इसलिए इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह है कि निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति जिस व्यक्ति के पास हो उस पर इतना अधिक कर लगाया जाना चाहिए कि उसके लिए कर के रूप में इतना अधिक धन देना पड़े जिससे कि उसे हर बीस वर्ष में उसकी पूरी कीमत करों के रूप में सरकार को देनी पड़े। इससे लोग अपने कब्जे में वह भूमि अधिक नहीं रखेंगे जिस पर कर नहीं लिया जाता है। साथ ही सरकार को इससे आज की अपेक्षा अधिक लगान मिलेगा।

Shri Shrikishan Modi (Sikar): Mr. Chairman, Sir, I welcome the 20-point programme and would like to speak only on one point, *i.e.*, the distribution system. In India at present fifty lakh people are engaged in the distribution system. Those engaged in distribution system include small shopkeepers, stall holders and other small retailers, etc. In case we include rehrawalas, rickshawalas etc., in this category their number can reach upto about one crore. Their daily income varies from Rs. 4 to Rs. 40 and they work for more than 20 hours a day.

This category of persons serves as a vital link in our distribution system. They are an important part of our economy. Thus they should not be ignored. But so far they have been ignored. They have been looked upon with surpicion. Thus my submission is that without their help, without taking them into confidence no system can work and thus they should not be ignored. This is correct that Government wants that poverty should be removed. I also agree that poverty should be removed. But unfortunately all the enactments are going against the interests of the poor. Let us take the case of Delhi. What has happened here? About 50 thousand staff-holders have been uprooted from their places of business. Even such persons have been reported who were allotted these stalls at the time of Shri Gadgil. By doing so Delhi is not even being beautified. The places so cleared are being used for car parking etc. This clearance campaign has benefited only the big shopkeepers whose profits have started multiplying because they have thus become the monopolists of their areas. I request that the interest of the small category of persons must be protected. These persons are prepared to cooperate with the Government in implementation of this 20-point economic programme.

In the end I would like to say that a committee representing the retail shop-keeper should be set up. The Government should also consult this Committee while taking any steps affecting the interests of these persons:

डा० के० एल० राव (विजयवाड़ा) : प्रधान मंत्री ने गत मास एक मूल्यवान और व्यापक आर्थिक कार्यक्रम दिया था उसे देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं। इसे पांच भागों में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम मैं पांचवें भाग अर्थात् 'विविधमद' को लेता हूं। इस मद के अन्तर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पेय जल के संभरण का प्रश्न आता है। पिछला वर्ष मद्रास के लिए बहुत खराब वर्ष रहा। वहां पर निगम तीन दिन में एक बार पानी मुहैया किया करता था। इस समस्या को हम बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। पेन्नार नदी पर सोमसीला परियोजना को पूरा करके मद्रास को आराम से पानी मुहैया किया जा सकता है। तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा केन्द्र तीनों को मिलाकर इस परियोजना के लिए वित्त जुटाना होगा ताकि इसे तीन चार वर्षों में पूरा किया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर पीने के पानी में फ्लोरीन अनुमति से अधिक मात्रा में होती है। ऐसे पानी का प्रयोग करने से लोगों को फ्लोरोसिस का रोग हो जाता है। यह रोग लकवे या फालिज़ से भयंकर रोग है। ऐसे क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश आदि में बहुत हैं। ऐसे क्षेत्रों को पेय जल की सप्लाई के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह कार्य भी कार्यक्रम की सूची में सम्मिलित होना चाहिए।

मैं अपने विचार प्राकृतिक जल संसाधनों के विकास के बारे में भी व्यक्त करना चाहूंगा। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन दोनों के लिए पानी और बिजली का बहुत महत्व है। आर्थिक विकास के लिए बिजली तथा सिंचाई का बहुत महत्व है। सिंचाई के मामले में हमने बहुत कुछ किया है। सरकार को इस बात का गर्व होना चाहिए कि उसने 2 करोड़ हैक्टेयर भूमि की सिंचाई और उसके विकास के लिए लगभग 5,600 करोड़ रुपए नियत किए हैं। परन्तु यह राशि भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि हमारी समस्याएं बहुत व्यापक और गम्भीर हैं। हम चार हैक्टेयर भूमि में से केवल एक हैक्टेयर भूमि की ही सिंचाई कर पाते हैं। यदि हम अनाज का आयात बन्द करना चाहते हैं तो हमें कम से कम दुगुने क्षेत्र में सिंचाई करनी होगी जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसलिए हमें सिंचाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्णय लेने होंगे। हमें राष्ट्रीय जल के सम्बन्ध में नीति बनानी होगी। हमारे लिए यह घोषणा करना अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा कि जल राष्ट्र की सम्पत्ति है किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष व्यक्ति की नहीं। एक बार इस नीति को स्वीकार कर लेने पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। गंगा-कावेरी संगम के अलावा ऐसे और भी उपयोगी जल संगम हैं जिन्हें धुबरी-फरक्का, चम्बल-केन्द्रीय राजस्थान आदि की तरह क्रियान्वित किया जा सकता है। इससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत मिल सकेगी। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की राशि आवंटित करें। इन परियोजनाओं की जांच करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि हम इनको आरम्भ करके भविष्य में उनका लाभ उठा सकें।

हमारे देश में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई है। राजस्थान नहर, नागार्जुन सागर, नर्मदा, गंडक आदि कुछ ऐसी नहरें हैं जो पिछले 20 वर्षों से पूरी नहीं हो

पाई हैं। हमें कोई ऐसी परियोजना आरम्भ नहीं करनी चाहिए जिसको पूरा करने में 10 वर्ष से अधिक समय लगे। हमें ऐसी परियोजना को पहले चरणों में विभाजित कर लेना चाहिए तथा बाद में चरण-वार पूरा करना चाहिए।

बाढ़ हर वर्ष आती है तथा हर वर्ष तबाही करती है। गत वर्ष मैंने कुछ सुझाव दिए थे। मेरा एक सुझाव यह भी था कि हमें लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत से एक न्यूनतम बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 5 वर्ष में पूरा करना चाहिए। इस बाढ़ का मौसम अभी आरम्भ ही हुआ है तथा बाढ़ से होने वाले नुकसान की खबरें सुनने में आनी शुरू हो गई हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बिहार के समीपवर्ती क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई है। राप्ती, शारदा, करनाली, घग्गर, बागमति और बूढ़ी गंडक ऐसी नदियां हैं जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय उपाय करके नियंत्रण करना जरूरी है।

नर्मदा जल विवाद जो चिरकाल से चला आ रहा है हमारे विकास के मार्ग में एक बाधा बना हुआ है। जब तक हम इस विवाद को दूर नहीं करते उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सम्बन्धित लोगों को मिलकर इस विवाद का निपटारा कर लेना चाहिए।

विद्युत् का भी बहुत महत्व होता है। इस शताब्दी के अन्त तक विश्व में विद्युत का 300 करोड़ किलोवाट का उत्पादन हो जाएगा जिसमें से हमारा योगदान केवल 2.08 करोड़ किलोवाट का ही होगा जो बहुत कम है। विद्युत की इस कमी को विद्युत् कार्यक्रम को और अधिक वित्तीय सहायता देकर पूरा किया जा सकता है। यह सारी सहायता केन्द्र द्वारा ही दी जानी चाहिए।

कार्यक्रम में केवल सुपरतापीय बिजलीघरों का ही उल्लेख किया गया है। इसमें पन-बिजली घरों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए; यदि हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि उत्तरी राज्यों में बिजली की कमी को दूर करना चाहते हैं तो हमें हिमालय में पन-बिजली का विकास करना ही होगा। अतः हिमालय की तराई में पन-बिजली घरों का विकास करने की जिम्मेदारी केन्द्र को अपने ऊपर लेनी चाहिए।

हमें प्रति वर्ष 40 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन अधिक करना चाहिए वरना हमारा देश इस दिशा में बहुत पिछड़ा रह जाएगा। राज्यों पर निर्भर करने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि केन्द्र द्वारा धन राशि नहीं जुटाई गई तो बिजली की कमी के कारण हमारे देश में अंधेरा छा जाएगा।

श्री मोहन धारिया (पूना): मैं प्रधान मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में कोई नई बात नहीं है। समय समय पर कई कार्यक्रम तैयार किये जाते रहे हैं, परन्तु सरकार ने उन्हें गम्भीरतापूर्वक कभी क्रियान्वित नहीं किया है। भुवनेश्वर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में तात्कालिक आवश्यकता कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें देश में खाद्य, कपड़ा, मकान, शिक्षा और अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने की घोषणा की गई थी, परन्तु उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। कलकत्ता में हुए अधिवेशन में कम से कम 5 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित में बाधा पड़ गयी, जब इस के लिये धन की कोई व्यवस्था न हो पाई। तत्पश्चात् अपने महान नेता

महात्मा गांधी की स्वर्ण शताब्दी पर हमने प्रत्येक गांव के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने की बात सोची। परन्तु यह कार्यक्रम भी आगे न बढ़ सका। इन सब कार्यक्रमों को देखते हुए, वर्तमान कार्यक्रम के बारे में अब कुछ शंकाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि सरकार इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सकती थी और यह कहना सर्वथा गलत है कि विपक्षी दलों ने इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं करने दिया।

राजनीतिक पहलू कुछ भी हों, मैं सदा ऐसे कार्यक्रमों का समर्थक रहा हूं और अब भी इससे अलग नहीं हो सकता। मैं इस कार्यक्रम का भी समर्थन करता हूं। इस बारे में, मैं परिवार नियोजन, युवकों को रोजगार देने के लिये योजनाबद्ध विकास और कालबद्ध आधार पर गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी योजनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल करने का सुझाव देना चाहता हूं। नरोरा शिविर में तैयार किये गये 13 सूत्री कार्यक्रम में ये सभी बातें शामिल की गई थीं। परन्तु वर्तमान कार्यक्रम में इन का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। नगरीय क्षेत्रों में इस समय 3 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आकर यहां गन्दी बस्तियों में बस गये हैं क्योंकि उनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। इन्हीं लोगों में $1\frac{1}{2}$ करोड़ हमारी मातायें और बहने हैं जो खुले में शौच जाती हैं। यह कितनी शर्म की बात है। इन कमजोर वर्गों के लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था करने की योजना को इस कार्यक्रम में प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

परिवार नियोजन को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिये। अन्यथा अगले 25 वर्षों में हमारी जनसंख्या 60 करोड़ से बढ़ कर 100 करोड़ हो जायेगी। तब हम अपने लोगों विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं कर सकेंगे। अत: आपात कालीन स्थिति का लाभ उठाना चाहिये और तीन बच्चों के बाद नसबन्दी को अनिवार्य बनाने की कार्यवाही की जानी चाहिये। बीज, उर्वरक और ट्रैक्टर खरीदने के लिये सार्वजनिक विक्रीय संस्थाओं से केवल उन्हीं को ऋण दिया जाना चाहिये जिनके तीन से अधिक बच्चे न हों। यही शर्त आवास बोर्डों द्वारा निर्मित मकानों के आवंटन के बारे में होनी चाहिये।

यदि हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना चाहते हैं तो हमें इस के अन्तर्गत कुछ बुनियादी प्रश्नों को हल करना होगा। समाजवादी समाज में व्यक्ति और सम्पत्ति के बीच जो सम्बन्ध होता है, वह एक आधारभूत कसौटी होती है; दूसरा यह कि यदि सरकार कोई सम्पत्ति अपने हाथ में लेना चाहती है, तो क्या सरकार वह सम्पत्ति बाजार भाव पर लेगी या इसके लिये कोई प्रतिकर देगी? इन प्रश्नों के बारे में सरकार की क्या धारणा है? सरकार इस पर प्रकाश डाले।

यदि एकाधिकारवादी गृहों को इस प्रकार बढ़ने दिया गया, तो देश में समाजवादी कार्यक्रमों का क्या होगा? यह ठीक है कि यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है और हम चाहते हैं कि यहां पर उत्पादन बढ़े। परन्तु खेद है कि योजना आयोग इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं कर रहा है। उसका जैसे कोई उद्देश्य ही नहीं है। योजना आयोग को पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये कोई योजना बनानी होगी। अन्यथा ये सब कार्यक्रम असफल रहेंगे।

इस संदर्भ में संसद सदस्यों और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को इस कार्यक्रम को क्रियान्विति में सहयोजित किया जाना चाहिये। क्या सरकार नौकरशाही पर निर्भर रहना चाहती है जिनकी आयोजना में कोई आस्था नहीं है ? क्या वे इस कार्यक्रम को कभी क्रियान्वित कर सकेंगे ? मेरे विचार में, वे ऐसा कभी नहीं कर सकेंगे। सरकार की इस बारे में क्या धारणा है ? इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये लाखों लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी। यह तभी हो सकेगा जब उन अनेक नेताओं को, जिनको जेल में बन्द कर दिया गया है, छोड़ दिया जायेगा। सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिये।

यदि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर दिया गया, तो इससे उत्पादन बढ़ेगा और निर्धन लोगों के कष्ट कुछ सीमा तक दूर हो जायेंगे। देश में एक नई धारणा जन्म लेगी जिसकी इस समय बहुत आवश्यकता है क्योंकि इससे हमारे युवावर्ग में विश्वास की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

जहां तक संसदीय संस्थाओं और लोकतन्त्र का सम्बन्ध है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम ठीक तरह से कार्य नहीं करते रहे हैं। मैं 1970-71 से यह सुझाव देता रहा हूं और यही मैंने हाल ही में प्रकाशित हुई अपनी पुस्तक "फ्यूम्स एण्ड दि फायर" में लिखा है कि हमें इन संसदीय संस्थाओं को अधिकाधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिये। प्रत्येक कार्यक्रम को आरम्भ करने से पूर्व इसके अन्तर्गत सभी समस्याओं पर अच्छी तरह से विचार करने के लिये कई समितियां बनानी चाहियें। इस सम्बन्ध में हमें स्वतन्त्रता प्राप्ति के 27 वर्षों में हुई घटनाओं पर ध्यान देना चाहिये और उनसे सबक सीखना चाहिये। संसदीय प्रणाली की रक्षा करने के लिये उचित उपाय होने चाहिये। देश में लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं को बढ़ावा मिलना चाहिये। इसके साथ साथ इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिये कि हम लोगों को सामाजिक न्याय कैसे दिला सकते हैं। इन सभी समस्याओं पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के पश्चात् इस आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

Shri Chandra Shailani (Hathras): Our Prime Minister has announced the 21-point programme for the uplift of the weaker sections of our society. The people of the country has welcome this programme. Actually speaking, this programme is the beginning of a new era in the history of our country. This has given a new direction to the socialist forces and at the same time given a below to the capitalist and reactionary forces in the country. Abolition of *zamindari* system and privy purses of the ex-rulers, and then nationalisation of banks, life insurance and coal mines, show that there is now no room for the capitalist, rightist and reactionary forces in this country. Their conspiracy in the garb of democracy has been forestalled and now the socialist forces are commanding the whole country without any hindrance.

After the declaration of this economic programme, prices of consumer goods are falling down. whether it is mustard oil, sugar, cloth or any other essential commodity of day-to-day use, prices have gone down and the people, particularly people belonging to the weaker sections of our society, have heaved a sigh of relief.

The most important item in the economic programme is imposition of ceiling on land holdings and distribution of surplus land among the landless. The Government machinery should implement the programme of distribution of surplus land honestly and sincerely. In the rural areas poor people particularly the

people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have to face a lot of difficulties and remain at the mercy of landlords simply because they have no land. If these landless people get land, many of their difficulties will be removed.

Even after 27 years of independence, the system of bonded labour is still prevalent in the rural areas. The poor are being exploited by big farmers and landlords. Keeping this in view, the proposal to ban bonded labour is a welcome step. The poor people who are being exploited and are not paid wages will be indebted to the Prime Minister for this programme.

Rural indebtedness has assumed a very serious form. In the rural areas, money lenders have been exploiting the poor people for centuries. A person, who takes a loan of Rs. 200, is not able to release himself from the clutches of the money lender even after making a payment of Rs. 2,000 and even Rs. 20,000 because the interest on the principal goes on multiplying. This programme will now give relief to these poor people and they will be able to release themselves from the clutches of the money lenders. This step is a very commendable one.

The people of the country will now be able to get more electricity to increase production both in industrial and agricultural sectors. Under the new economic programme, there will be an improvement in the quality and distribution of standard cloth. It is also good that there will be socialisation of both movable and immovable property in urban areas. Those people who do not possess any residential accommodation in urban areas, will have a sigh of relief by this step.

More stringent, measures should be adopted to realise arrears of tax amounting to millions of rupees and also against tax evaders. It is also a commendable step that smugglers who had got themselves released due to some loopholes in the old legislation, have now again been arrested under the new legislation. They will now not be able to indulge in such activities.

The increase in the income tax exemption limit from Rs. 6,000 to Rs. has been welcomed by the middle class people. It is also a very good st

There is discontentment among the students because they have to pay high prices for books, exercise books and stationery. The type of education being imparted to them is also such that there is no future for them. The arrangements now being made under the new programme will go a long way to solve all these problems of the student community. We will all remain very grateful to the Prime Minister for these commendable steps, which when implemented, will give great relief to the students.

I am sure that the people belonging to weaker sections will now be provided with food, clothing and shelter under this programme. But in order to implement this programme successfully, we will have to make the bureaucracy more active.

[श्री एच० के० एल० भगत पीठासीन हुए
Shri H. K. L. Bhagat in the Chair]

Because I have seen that even after the declaration of emergency, there is some slackness on the part of the Government machinery. The other day there was a demonstration by R.S.S. workers in Aligarh, but the police took much time to arrest them. They are, therefore, required to be pulled up.

I am sure that this 20-point programme, which has been evolved for the upliftment of the poor, will be successfully implemented and we will remain grateful to the Prime Minister for this programme for ever.

Shri Chandulal Chandrakar (Drug): The objective of the 20-point programme is to increase both agricultural and industrial production, to remove disparities between the rich and the poor and to put an end to exploitation of the weaker section of the society.

It is something commendable that the evil of rural indebtedness is going to be curbed under the 20-point economic programme. It may be pointed out that the industrial workers in urban areas are also in debt and as such they should also be covered under this programme.

In Madhya Pradesh wine contractors force the poor to drink by delivering wine at their residences. This evil should also be eradicated.

Our objective is to supply foodgrains and cloth to the poor at fair prices. At present 80 crore yards of standard cloth is being produced in the country but out of this only 14 per cent is being distributed among rural people. This is not enough for them. Steps should therefore be taken to ensure proper distribution of standard cloth among the poor. It will be better if it is distributed through village panchayats.

In order to increase our agricultural production, irrigation and power are of great importance. A number of irrigation schemes have been shelved because of paucity of funds. We should reduce administrative expenditure and also stop production of non-essential articles like certain plastic goods. Money thus saved can be utilised for augmenting irrigation facilities. Those who have black money should be allowed to invest their money in irrigation projects. They should be given some interest ranging from 5 per cent to 10 per cent on this money. The Finance Minister should give a serious thought to this suggestion.

In the Industrial sector, there should be full utilization of installed capacity. There should be joint consultative machinery in each industry consisting of representatives of employers and workers to sort out all problems in that industry. The machinery, which is now being imported from abroad, should be manufactured in the country itself.

It is commendable that a Joint Negotiation Committee has been formed for the four steel plants in the public sector. This committee is doing very good work. All the problems of the labour are being solved through this committee. A number of facilities like education, transport, house rent allowance and other amenities have been provided to the workers there recently on the recommenda-

tions of the Joint Negotiation Committee. The result is that there has been an increase in the production of steel. Such committees should also be formed in other industries like cement, coal and petroleum, so that there is an increase in their production.

A number of hon. Members have pointed out that a number of schemes are formulated but they are not implemented. Bureaucracy is also responsible for this. In this connection, I would like to suggest that the Article 311 which gives certain safeguards to the bureaucrats should be done away with.

Shrimati Subhadra Joshi (Chandni Chowk): Mr. Chairman, Sir, the proclamation of emergency and the programme placed before us have been failed throughout the country. I also welcome these measures. These have benefited the people. But I will like to draw the attention of Government to the clearance of footpaths, roads etc. in Delhi. It has deprived innumerable poor people, who used to carry their trade on footpaths and *rehris*, of their means or livelihood. It cannot be denied that roads and footpaths are to be cleared but these poor people should be rehabilitated by providing alternate sites. It has affected the prices also. Therefore, I appeal for the rehabilitation of these poor people who have been adversely affected by this drive.

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह): प्रधान मन्त्री ने न केवल लाखों लोगों के लिए कपड़े की व्यवस्था करने बल्कि कपड़ा तैयार करने वाले लोगों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने के अपने संकल्प को क्रियान्वित करने हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम में हथकरघा को राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में कृषि के बाद अगला स्थान दिया है। इस उद्योग पर लगभग एक करोड़ व्यक्ति आश्रित हैं, जो अपना पसीना बहाकर देश में कपड़े के कुल उत्पादन 82,000 लाख वर्ग मीटर में से 22,000 लाख वर्ग मीटर कपड़ा राष्ट्र को बनाकर देते हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाकर 30,000 लाख वर्ग मीटर करने का है। हथकरघा उद्योग में लगे लोगों के कल्याण की योजनाओं का काम केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से ले रही है। श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है और हथकरघा क्षेत्र के अधिक एकीकृत विकास के लिये सरकार का विचार एक पृथक् हथकरघा विकास आयुक्त नियुक्त करने का है। इसके साथ ही अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन भी किया जायेगा ताकि वे अपेक्षित योगदान कर सके।

इस उद्योग का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू हथकरघा बुनकरों का शोषण है और इसे दूर करने के लिये हमारा विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में सहकारी समितियों को वतमान 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का है। नियन्त्रित कपड़ों के उत्पादन के लिये हथकरघों की क्षमता का भी उपयोग किया जायेगा, विशेष रूप से धोतियों और साड़ियों के लिये और इसके लिये उन्हें रियायती दरों पर कुछ प्रतिशत सूत दिया जायेगा क्योंकि यह क्षेत्र सूत की लच्छियों के उचित दर पर मिलने पर ही सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित होने वाली किसी भी नई कताई मिल को अपने कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत सूत लच्छियों के रूप में करना होगा। यह हर्ष की बात है कि 1974–75 में सूत की लच्छियों के मूल्य कम हो गये हैं और हथकरघों को सूत मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हथकरघा क्षेत्र को मिलों और शक्तिचालित करघों से प्रतियोगिता से बचाने के लिये रंगीन धोतियों के थान, लुंगी, सारंग और सूती रंगीन साड़ियां हथकरघा क्षेत्र के लिये पूर्णतः आरक्षित कर दी

गई हैं। सभी राज्यों ने इस आदेश का समान रूप से पालन नहीं किया है और कुछ मामलों में न्यायालयों ने आदेश भी दिये हैं। हमने राज्यों को लिखा है कि वे कड़ाई से इन आदेशों का पालन करें और आदेश को हटाने के लिये कार्यवाही करें। सरकार इस आरक्षण को सही रुप में लागू करने के लिये विधान बनाने पर विचार कर रही है और आरक्षण के क्षेत्र का विस्तार भी सरकार के विचाराधीन है।

हथकरघा उद्योग एक निर्यात-प्रधान उद्योग है। 1974–75 में हथकरघा उत्पादों के निर्यात से सरकार को 100 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। हमारा विचार निर्यात के उद्देश्य से उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का है। प्रत्येक केन्द्र में एक हजार मिलें होंगी और उन्हें सभी कच्चा माल, उधार सुविधायें, क्रय-विक्रय प्रबन्ध, तकनीकी सुविधायें आदि प्रदान की जायेंगी।

दुर्भाग्य से हाल में बहुत सा हथकरघा कपड़ा जमा हो गया है। केन्द्र आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को 4 करोड़ रुपए प्रदान करता है। श्री विश्वनाथन ने इसका उल्लेख किया था इसमें से 1.80 करोड़ रुपए अकेले तमिलनाडु को दिये गये हैं क्योंकि सबसे अधिक हथकरघे वहां पर हैं। उत्तर प्रदेश को 70 लाख रुपए देने का विचार है। आसाम भी हथकरघा का क्षेत्र है और इस पर भी हम ध्यान देंगे।

हमने नियन्त्रित कपड़े का अनिवार्य उत्पादन गतवर्ष 40 करोड़ वर्ग मीटर से बढ़ा कर 80 करोड़ वर्गमीटर कर दिया था और इसे और बढ़ाने का हमारा विचार है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन मिलों सहित सभी मिलों को नियन्त्रित कपड़े के लिये राज-सहायता दी जा रही थी और अब इसे समाप्त कर देना चाहिये। हमारा विचार नियन्त्रित क्षेत्र के कपड़े की किस्में भी बढ़ाने का है। पॉपलिन, शर्टिंग, ड्रिल, साड़ियां और लट्ठा इस क्षेत्र में शामिल करने का विचार है। नियन्त्रित क्षेत्र में धोतियों और साड़ियों का उत्पादन भी 10 करोड़ वर्गमीटर से बढ़ा कर 16 करोड़ मीटर करने का है। इसमें हथकरघा क्षेत्र का भी सहयोग लिया जायेगा। नियंत्रित कपड़े की किस्म में जो हाल में गिर गई थीं, भी सुधार करने के लिये हमने कार्यवाही की है। वितरण व्यवस्था में सहकारी क्षेत्र को प्रमुख स्थान प्राप्त रहेगा। फिर भी हम इस बारे में सुझावों पर विचार करने के लिये तैयार हैं।

मुझे आशा है कि इन उपायों से राष्ट्र को इतना कुछ देने वाले हाथों को उनका हक प्राप्त होगा।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नालगोंडा) : मैं अपने प्रिय प्रधान मन्त्री द्वारा 1 जुलाई, 1975 को घोषित 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन करता हूं। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से हरिजनों, दलित वर्गों, छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लाभ के लिये है।

आज भी अनेक हरिजनों को मकानों के लिये स्थान नहीं मिल रहा है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भूमि के साथ-साथ मकान बनाने के लिये कुछ धन भी दिया जाना चाहिए। कृषि और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ाया जाना चाहिए। भूमि पर उपलब्ध जल का कृषि और औद्योगिक कार्यों के लिये उपयोग किया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर परियोजना पूर्ण होने वाली है परन्तु धन की कमी के कारण प्रगति बहुत धीमी है। यदि केन्द्रीय सरकार धन दे, तो यह शीघ्र पूर्ण हो जायेगी और लगभग 20 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिये जल उपलब्ध होगा। तेलंगाना के 6 जिलों में अनेक गांवों में अभी तक पेयजल उपलब्ध नहीं है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। भूमि सुधारों को सच्ची भावना और सत्यता से लागू करना चाहिए। तस्करों की सभी सम्पत्ति, चाहे वह उनके नाम में हो या बेनामी हो, जब्त कर ली जानी चाहिए।

हथकरघा उद्योग का इस प्रकार विकास किया जाये जिससे कि गरीबी दूर हो सके। परिवार नियोजन की ओर भी ध्यान देना होगा। छात्रावासों को पुस्तकें और लेखन सामग्री नियन्त्रित दरों पर मिलनी चाहियें जैसा कि प्रधान मन्त्री ने कहा है। ग्रामीण ऋण की वसूली रोकने के साथ-साथ नये ग्रामीण बैंक भी खोले जाने चाहियें। बेकारी दूर करने के लिये मेरा सुझाव है कि प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार अवश्य देना चाहिये।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Our party has already said that the 20 point economic programme announced by the Prime Minister will help improve economic position and solve some of the main problems facing the country though it bring about basic changes in the social fabric of the country. While it is necessary to involve the people to implement this programme, it is also essential to contain the capitalists.

A total sum of Rs. 837.42 crores had been advanced as loan to 253 private companies by Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India and Indian Capital Investment Centre upto 31st December, 1974 and out of it more than Rs. 3 crores have been given to 80 companies. If this policy is continued it will affect the implementataion of this programme. The present capital worth of Birlas and Tatas have gone up from Rs. 40 crores and Rs. 48 crores, respectively before independence to Rs. 800 crores and Rs. 1200 crores. This fact should not be lost sight of.

Neither I nor my party is in favour of reported naxalite activity of murders of landlords for occupation of land by the landless. The unutilised Government land occupied by landlords should be taken over by Government from the unauthorised occupants and distributed amongst the landless agricultural labour. They are paid Rs. 2 only as wages against the minimum wage of Rs. 4 or Rs. 5 fixed by Government. Government should see to it that they are paid the prescribed minimum wages.

The condition of handloom workers is miserable. The handloom industry is the biggest in Tamil Nadu. Out of 26 lakh workers engaged in this industry there 20 lakhs have been out of employment due to heavy accumulation of stock worth Rs. 40 crores. Steps should be taken to clear this stocks and to see that there is no accumulation in future. It is good that handloom industry has been included in this programme Since the conditon of handloom workers is very bad throughout the country, Government should pay special attention to it.

I have moved an amendment to help the backward states in their development and improvement of their economic condition. The *per capita* income in Bihar is perhaps the lowest except for Meghalaya. It has got a fertile land and a number of industries are there but irrigation facilities are lacking and there are other problems. Similar is the case of Eastern U.P as pointed out by my hon. friend Shri Rajdeo Singh. If Government wants to make this programme a success, special attention will have to be paid to these areas.

As regards the people's cooperation, Shri Mohan Dharia pleaded for the release of persons now in jail. We all know what set of people are with them, blackmarketeers, hoaders, exploiters of labour, landgrabbers. In fact people are eager

to lend their cooperation. But what are the means adopted by Government? Government has appointed big committees. In Bihar a committee of 76 or 80 persons has been appointed to implement the 20 point programme and land ceiling Bill. It is not going to deliver the goods since persons like Swami Harinarainanand, who is totally opposed to land ceiling, Editor of 'Aryavarta', who has all along been a supporter of J.P. movement, the Editor or 'Searchlight' are there on it and only 8 members are there from the opposition parties.

The agents and supporters of R.S.S., Anand Marg and Jai Prakash Narayan have penetrated into Government service and machinery. I know that in Bihar 250 Anand Margis have infiltrated into Government offices and are holding senior positions. Such element should be weeded out from Government departments, so that they may not hinder the implementation of this programme. Its implementation should be entrusted to offices having full faith in Government policies. socialism, secularism, democratic set up and who are opposed to fascism and imperialism.

श्री धरनी धर दास (मंगलदायी) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना आपात काल की घोषणा है जिसने प्रतिक्रियावादी ताकतों, विशेष रूप से अमरीका के बहुराष्ट्रीय निगमों के विरुद्ध, जो किसी देश में समाजवाद के आने को रोकने मात्र के लिये लोकतन्त्र को समाप्त करने तथा स्थायी सरकारों का तख्ता पलटने में विश्वास करता है, अभियान का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इन ताकतों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के 27 वर्षों में देश में अव्यवस्था फैला दी थी। आपात काल की घोषणा से ऐसी ताकतों के, जो किसी भी कीमत पर पूंजीवाद को कायम रखना चाहते हैं, देश पर हावी होने के खतरे को दूर किया है। जब लोकतन्त्रीय तरीकों से उन्हें सफलता नहीं मिली और उन्होंने देखा कि लोकतन्त्र का समाजवाद की दिशा में वांछित परिवर्तन लाने के लिये उपयोग किया जा रहा है, तो उन्होंने लोकतन्त्रीय संस्थाओं को ही नष्ट करना चाहा। प्रधान मंत्री ने समय रहते आपात काल की घोषणा की है। इस संघर्ष में एक ओर गरीब जनता और शोषित वर्ग है और दूसरी ओर एकाधिकारी शक्तियों. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्द मार्ग जैसी प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक ताकतें हैं। पूंजीवाद ने उत्पादन और वितरण में अव्यवस्था फैला दी थी और लोग अनेक प्रकार के शोषण के शिकार हो गये थे। इसका परिणाम था बेरोजगारी, मंहगाई, मुद्रास्फीति। इस स्थिति में सुधार लाने में समय लगेगा इसलिए आपात काल को काफी समय तक बनाये रखना होगा।

न्यायपालिका केवल कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा कर रही थी और उसके कुछ निर्णय भारतीय जनता के हितों के विरुद्ध थे। समाजवाद की ओर हमारे अग्रसर होने के मार्ग में इन बाधाओं को दूर करने के लिए यह संसद् क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में योगदान करती रही है। भूमि सुधारों के लिये आसाम में एक शक्तिशाली समिति नियुक्त की गई है जिस में सम्बन्धी मंत्री और राजनैतिक दलों के नेता हैं। भूमिहीन लोगों को तुरन्त भूमि दे दी गई है। आसाम में आवश्यक वस्तुओं का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। यही व्यवस्था देश में समाजवाद ला सकती है। बीस सूत्री कार्यक्रम भी सहकारी वितरण व्यवस्था तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के राष्ट्रीयकरण द्वारा ही क्रियान्वित किया जा सकता है।

श्री के० गोपाल (करूर) : सरकार के कटु से कटु आलोचक भी इस कार्यक्रम का स्वागत ही करेगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हम प्रगति करते रहे हैं परन्तु ग्रामीण भारत का महात्मा गांधी की कल्पना के अनुरूप विकास नहीं हो सका। 1960–61 में निर्धनता रेखा लगभग

37 प्रतिशत थी और आज यह लगभग 50 प्रतिशत है। 1950 में बेरोजगारों की संख्या 30 लाख थी और अब यह 2 करोड़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 प्रतिशत लोगों के पास 56 प्रतिशत भूमि है तथा इसमें से 44 प्रतिशत लोग कृषि कार्य नहीं करते हैं। ऋणग्रस्तता को समाप्त करने का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों तक समिति रखने के बजाय औद्योगिक क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिये। आज भी निर्धन लोग महाजनों के चुंगल में फसे हुए हैं। जब तक गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा ऋण देने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता, गरीबों की सहायता नहीं की जा सकती है।

उत्पादन बढ़ाने के लिये श्रमिकों को प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और प्रबन्धकों और श्रमिकों के सम्बन्ध अच्छे होने चाहियें। इस्पात उद्योग के समान सभी उद्योगों में सभी स्तरों पर श्रमिकों को सहबद्ध किया जाना चाहिए। श्रमिकों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करने की प्रथा प्रशंसनीय है। यदि श्रमिकों से परामर्श करके उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये जायें, तो उन्हें पूरा करना संभव होगा।

उप वाणिज्य मंत्री ने कहा कि स्टैंडर्ड कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य 80 करोड़ मीटर रखा गया और इसे भी बढ़ाने का विचार है। परन्तु स्टैंडर्ड कपड़े के उत्पादन का कोटा गैर-सरकारी मिलों द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। इसका एक इलाज यह है कि गैर-सरकारी मिलों को सरकार अपने हाथ में ले ले।

मुझे डर है कि भूमि की अधिकतम सीमा को कैसे लागू किया जायेगा क्योंकि अनेक राज्यों में भूमि रजिस्टर ठीक प्रकार नहीं रखे जाते हैं। 15.60 करोड़ हैक्टेयर भूमि में से केवल 4.4 करोड़ हैक्टेयर भूमि सिंचित है। हर भूमि खण्ड सिंचित होना चाहिए और उसमे खेती की जानी चाहिए। खाली पड़ी कृष्यकर भूमि भूमिहीन श्रमिकों को दी जानी चाहिए। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को अच्छे किस्म के बीज, ऋण और क्रय-विक्रय सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें। पंचायत स्तर पर श्रमिक सहकारी समितियों के माध्यम से खेतिहार श्रमिकों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उन्हें न्यूनतम निर्धारित मजदूरी मिल सके।

यदि हम चाहें तो निर्धन लोगों को मकानों के लिये जगह देना कठिन नहीं है। विभिन्न रूपों में विद्यमान बन्धक श्रमिक प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने में कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। अनुचित तरीकों से अर्जित आय से बनाई गई प्रत्येक सम्पत्ति को तो लें लेना चाहिए। शहरी सम्पत्ति की सीमा के बारे में चर्चा तो बहुत हो चुकी है। अब कुछ करके भी दिखाना चाहिए। 1 सितम्बर से प्रत्येक पैकेट का वजन और मूल्य अंकित करने के आदेश से कुछ सीमा तक मूल्य नियंत्रण हो सकेगा।

विभिन्न राज्यों के बीच जल और विद्युत विवादों का हल किया जाना चाहिए। राज्यों में चुंगी समाप्त की जानी चाहिए। इससे परिवहन में बाधा होती है। सरकारी अधिकारियों में से भ्रष्ट और अकुशल लोगों को निकालने के लिए अनुच्छेद 311 का लोप कर देना चाहिए। कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए प्रत्येक स्तर पर जनता समितियां होनी चाहियें।

श्री अरविन्द बाल पजनौर (पांडीचेरी) : पता नहीं, अब तक कितनी योजनाएं बन चुकी हैं। परन्तु देश की आर्थिक स्थिति पर अभी तक कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि भारत एक देव के समान बहुत बड़ा देश है। इसे अभी तक तंदुरा से जगाया नहीं जा सका है। हम वर्तमान कार्यक्रम का इसलिये स्वागत करते हैं क्योंकि इससे देश में जागृति की एक नई लहर दौड़ गई है। सभी क्षेत्रों में लोग सक्रिय हो गये हैं।

कार्यक्रम को तीन भागों अर्थात् कृषि, उद्योग और श्रमिक वर्ग में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में उत्साह भरना है। कुछ लोगों का विचार है कि यह कार्य संसद् सदस्यों पर छोड़ दिया जाये। यदि हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाये, तो ऐसा करने के लिये लोगों का सहयोग प्राप्त करना होगा। आपात की उद्घोषणा करने से लोगों में विश्वास बढ़ा है। हमें लोगों की दशा सुधारने के लिये शीघ्र कुछ करना चाहिये। क्योंकि लोग हमें अब इतना अधिक समय नहीं देंगे। यदि हम शीघ्र कुछ कर सकने में असफल रहे तो लोग हमारा अवश्य जनाजा निकाल देंगे। यह कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणता को समाप्त करने पर लोगों को बहुत राहत मिलेगी। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम इस दिशा में इतना जल्दी कुछ कर पायेंगे? लोग केवल बड़े बड़े जमीदारों से ही नहीं अपितु छोटे लोगों से भी उधार लेते हैं। हमें प्रश्न के इस पहलू पर भी विचार करना होगा। हम पहले काश्तकार सुरक्षा अधिनियम जैसे कई कानून पास कर चुके हैं परन्तु उनका इस समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मेरा अनुभव तो यह रहा है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा से पूर्व पारित विधान के आधार पर कई काश्तकारों को अब भी बेदखल किया जा रहा है। इन्हें रोका जाना चाहिये। संसद सदस्यों को इस काम में राज्य स्तर पर सहायता करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम इस बार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित न कर सकें, तो लोगों का हमारे प्रति विश्वास उठ जायेगा। क्योंकि योजनाये तो पहले बहुत बन चुकी हैं परन्तु उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया गया है। हमें इस कार्य में आज से ही जुट जाना चाहिये।

हमारे राज्यों में रोजगार की यह स्थिति है कि उन लोगों को, जिन्होंने अपने नाम 1967 में दर्ज कराये थे, अभी तक एक बार भी साक्षातकार का अवसर नहीं दिया गया। अतः इस बार इस कार्यक्रम को अवश्य क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal): The most striking thing in the 20-point programme evolved by the Prime Minister is this that it is a time-bound programme. Some hon. Members like Shri Mohan Dharia have expressed their view that it will fail in the same way as other programmes have failed. But, I think, this time it is not going to be so because the emergency has activised the entire government machinery and as a result of this the people have developed a confidence that this programme is certainly going to be fulfilled.

So far as agricultural development is concerned, in spite of the green revolution, there has not been much improvement in the condition of small farmers Whatever amount has so far been spent on agricultural development has benefited the big farmers and the condition of the small farmers remains the same. So there is great need to pay more attention to improving the condition of the small farmers.

So far as procurement of foodgrains is concerned, we should at least procure 1/3rd of the expected total production of 11.40 crore tonnes. Because imports are a big drain on our economy and also the quality of foodgrains supplied by other countries is not good. In this regard more attention should, therefore, be paid to local procurement. It is good that the Government want to build up a buffer stock of one crore and twenty lakh tonnes of foodgrains this year. At the same time proper distribution should also be ensured. Steps should also be taken to augment production because the whole economic programme depends on it. It is regretted that big farmers indulge in black marketing as a result of which the consumers have to face difficulties.

It is undoubtedly a good step that 50 regional banks are being opened to give loans to the farmers. But in view of the deteriorating service of the banking institutions, it is to be seen as to how far this will succeed. I think, the present arrangement of giving loans through the co-operative banks is good and the same should be continued. This matter should, therefore, be reconsidered.

The hilly and tribal areas have some special problems which require attention of the Government. I hope that these areas will get special attention in the next instalment of economic programmes. In these areas, lift irrigation scheme should be implemented. Steps should be taken to set up micro hydel projects, cottage industries and other industries based on forest and minerals in these areas. It is regretted that nothing has been done to ameliorate the condition of the people residing in tribal areas. Every year the report of the commissioner for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is discussed here and suggestions are made, but only 1 per cent suggestions are actually implemented. The success of this programme depends on the attitude of the bureaucracy. If they are committed to the policies of the Government, there is no reason why this programme should not succeed. The Government should announce a personnel policy keeping in view the type of bureaucracy they want to implement the economic programme.

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर): मैं प्रधान मंत्री द्वारा 1 जुलाई, 1975 को घोषित किये गये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का समर्थन करता हूं। यह कार्यक्रम लोगों के लिये नई आशाएं लाया है और लोगों का विचार है कि अब इस देश में अकर्मण्यता और अदक्षता वाला वातावरण सदा के लिये समाप्त हो जायेगा।

यह एक प्रसन्नता की बात है कि बेगार को अवैध घोषित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से प्रचलित ऋणिता की प्रथा को समाप्त किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में भूमि के समाजीकरण और खाली पड़ी भूमि को रखने के बारे में उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिये उपबन्ध किया गया है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नगरों में कुछ लोगों ने कई-कई मंजिला भवन बना लिये हैं। यह सब काम काले धन से किया गया है परन्तु खेद है कि हम इस सम्बन्ध में अभी तक कोई उपाय नहीं कर पाये हैं। मेरे विचार में नगरों में आय की भी उच्चतम सीमा निश्चित कर दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में विधान लाया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत शहरी आय, भूमि और सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिये उपबन्ध किया जाये। इसमें अब कोई देर नहीं होनी चाहिये। अन्यथा कोई भी आर्थिक कार्यक्रम पूरा नहीं होगा।

हमारे देश में पिछड़ापन है और इसका मुख्य कारण यह है कि यहां पर संचार और परिवहन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों, सड़कों आदि की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। किन्तु खेद की बात है कि इस वर्ष कार्य के लिये कम रकम नियत की गई है। मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वह इन क्षेत्रों के विकास के लिये रकम नियत करते समय उदारता से काम लें। नगरों की तुलना में ग्रामों में बहुत ही कम धन लगाया जा रहा है। इस तरह पिछड़ापन कैसे दूर होगा।

शिमला में एक हवाई अड्डा बनाया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में नांगल तलवाड़ा रेलवे लाइन बिछाने के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

यह तो ठीक है कि छात्रवासों में विद्यार्थियों को पुस्तकें, लेखन सामग्री और आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर मिलने लगेंगी। परन्तु इससे अधिक महत्वपूर्ण बात देश में समस्त शिक्षा पद्धति को बदलने की है। इस को बदलने के लिये किसी समिति या आयोग को बिठाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देखा गया है कि इसमें कई वर्ष लग जाते हैं और उनकी सिफारिशें तब तक अप्रचलित हो जाती हैं। अनुशासन और एकता की भावना पैदा करने के लिये आवश्यक है कि सम्पूर्ण देश में एक ही प्रकार की शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। जापान में चार अलग अलग मुख्य द्वीप हैं किन्तु वहां पर सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की वर्दी एक ही है। सरकार को इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

आज कृषि-मजदूरों की दशा भी शोचनीय है क्योंकि उनका कोई कार्मिक संघ नहीं है। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। प्रत्येक राज्य को नया विधान बनाना चाहिए। जिनसे इनकी दशा में सुधार हो और देश में शान्ति और समृद्धि बढ़े।

***श्री एम० कत्तामुत्तु** (नागापट्टिनम) : आपात और 20–सूत्री कार्यक्रम के उपबन्ध को लागू करना राज्य सरकारों की ज़िम्मेवारी है। इसी लिये कई राज्यों में विधान सभाओं के सत्र बुलाएँ गये और वहां पर आपात और 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किये गये। यहां तक कि कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश भी जारी कर दिये। परन्तु तमिल नाडू ही एक ऐसा राज्य है जिस में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। साम्यवादी दल के एक सदस्य, श्री के० टी० के० थंगामणि के कहे जाने पर कि विधान सभा का सत्र बुलाया जाय, तमिल नाडु सरकार ने कहा कि सत्र बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि वे इन 20 सूत्रों में से 15 सूत्रों को पहले ही क्रियान्वित कर चुके हैं। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार तमिल नाडु सरकार के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करे और उस सरकार के विरुद्ध उचित कार्यवाही करे।

इस 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार भी शामिल है। तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने कहा है कि तमिल नाडु में भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य पूरा हो चुका है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि तमिल नाडु भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में कई त्रुटियां हैं।

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on the English translation of the original speech delivered in Tamil.

उन्होंने परिवार की परिभाषा और अन्य उपबन्धों के बारे में केन्द्रीय सरकार का हिदायतों का पालन नहीं किया है । इस अधिनियम के अन्तर्गत कई बेनामी सौदे हुए हैं । तमिल नाडु में कोई भी एकल व्यक्ति 15 मानक एकड़ भूमि रख सकता है जबकि केरल में एक अविवाहित व्यक्ति केवल 5 मानक एकड़ भूमि ही रख सकता है । इस अधिनियम में ऐसी कई असंगतियां और त्रुटियां हैं । इसके बावजूद तमिल नाडु के मुख्य मंत्री इस अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं । यह सुनिश्चित करना कि तमिल नाडु सरकार अपने अधिनियम में इन त्रुटियों को दूर करे, केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है और केन्द्रीय सरकार को इस दिशा में तुरन्त कोई कदम उठाना चाहिये क्योंकि केवल कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा ।

कृषि मजदूर हमारे समाज का बहुत ही उपेक्षित अंग है क्योंकि उनकी दशा सुधारने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इस समय देश में कृषि मजदूरों तथा इन पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या लगभग 15 करोड़ है । अतः ये कुल श्रम वर्ग के 26 3 प्रतिशत हैं । यद्यपि श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में कृषि मजदूरों की मजूरी में वृद्धि करने की घोषणा की गई थी और संकल्प भी पारित किया गया था परन्तु उसको क्रियान्वित करने के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । पुरुष और महिला कृषि मजदूरों को बराबर की मजूरी देने के बारे में कोई उपाय नहीं किये गये हैं । अतः मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसके अन्तर्गत मांग की गई है कि कृषि-मजदूरों की रक्षा करने के लिये केवल कृषि-मजदूर अधिनियम के आधार पर एक विस्तृत विधान बनाया जाये ।

रमनापल्ले में जब कृषि मजदूरों ने, जिन्हें वहां पर एक रुपया पुरुष को और 50 पैसे महिला को मजूरी दी जाती है, मजूरी में वृद्धि करने की मांग की, तो उनके 100 घर जला कर राख कर दिये गये । इसी प्रकार कुछ वर्ष पूर्व तंजौर के एक गांव में 44 लोगों को जिंदा जला दिया गया था । आपातकालीन स्थिति की घोषणा होने के पश्चात पंजाब और मध्य प्रदेश सरकारों ने कृषि-मजदूरों की मजूरी में वृद्धि की है । परन्तु तमिल नाडु में एक राजस्व अधिकारी ने कहा है कि मजदूरों की मजूरी मे वृद्धि करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है । तमिल नाडु ही एक ऐसा राज्य है जहां मजदूरों को सब से कम मजूरी मिलती है । वहां पर पुरुष को 3 रुपए और महिला को 2-25 रुपए मजूरी दी जाती है जो बहुत ही कम है । जब कभी लोग इस के विरुद्ध कोई आवाज उठाते हैं तो उन्हें भारत रक्षा नियम और आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने की धमकी दी जाती है । लोगों को अन्धाधुन्ध गिरफ्तार किया जा रहा है । किसी मैडीकल कालेज में प्रविष्ट होने के लिये 20,000 रुपये और इंजीनियरिंग कालेज में प्रविष्ट होने के लिये 5,000 रुपये मांगे जाते हैं । भ्रष्टाचार दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है । वहां के लोग 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने के लिये सहयोग देने के लिये तैयार हैं, परन्तु तमिल नाडु सरकार ऐसा करने के लिये तैयार नहीं है, हालांकि स्थिति दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है । केन्द्रीय सरकार को वहां के लोगों के हित में कोई कार्यवाही करनी चाहिये जिससे वहां पर 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा सके और लोगों को कुछ राहत मिले ।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : देश में गरीब वर्गों की दशा सुधारने और सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये प्रधान मंत्री ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है वह एक क्रान्तिकारी कदम है । इस से देश का सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा ही बदल जायेगा । वास्तव में हमारे प्रधान मंत्री इस कार्यक्रम को 1971 के चुनावों के पश्चात् शीघ्र क्रियान्वित करना चाहते थे । परन्तु खेद है कि कुछ अल्पसंख्यक लोगों ने प्रधान मंत्री के रास्ते में बाधाएं डालीं । यहां तक कि उन्होंने विदेशी अभिकरणों से सांठगांठ कर के प्रधान मंत्री के प्रयासों को विफल बनाने के लिये षड़यंत्र किया । सर्वश्री जयप्रकाश नारायण और राज नारायण के नेतृत्व में देश में फूट डालने वाले कुछ लोगों ने हमारे प्रधान मंत्री के 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम को 'इन्दिरा हटाओ' कार्यक्रम में बदलने, देश में हिंसा और अव्यवस्था फलाने की कुचेष्टा की । इन परिस्थितियों में आपात और 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा का सभी लोगों ने स्वागत किया है और क्योंकि यह कार्यक्रम इस देश के लोगों की उमंगों और आकांक्षाओं का प्रतीक है ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करना है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन, समाहार और वितरण प्रणाली को सुधारना और सरकारी खर्च में कमी करना है । कीमतों में वृद्धि होने का कारण यह था कि कुछ समाज-विरोधी तत्व और चोर-बाजारी करने वाले लोग देश में प्रतिपक्ष के दलों द्वारा उत्पन्न किये गये वातावरण का लाभ उठाना चाहते थे । परन्तु हमारी सरकार ने दृढ़ता से काम लिया और एक महीने की छोटी सी अवधि में ऐसा कमाल कर दिखाया कि कीमतें इतनी नीचे आ गई हैं कि अब मुद्रास्फीति नाम को भी नहीं रही है । इस के लिये वित्त मंत्री भी बधाई के पात्र हैं । मूल्यों को और नीचे गिराने और उनमें स्थिरता लाने के लिये हमें विशेष कर खाद्य के उत्पादन, समाहार, भण्डारीकरण और वितरण पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में एक और बात है जिस पर मैं बल देना चाहता हूं वह सरकारी व्यय में मितव्ययता की आवश्यकता की बात है । सरकारी व्यय में अत्यधिक मितव्ययता से काम लिया जाना चाहिये । कई वर्षों से सरकारी मशीनरी का विस्तार किया जा रहा है। प्रशासननिक सुधार के लिए विभिन्न आयोगों के अन्तर्गत कई उपाय किए गए हैं । हमें अब इस समस्या पर नए तरीके से विचार करना होगा । हमें यह पता लगाना होगा कि क्या प्रशासनिक मशीनरी का विकेन्द्रीयकरण करके तथा इसे लोगों की इच्छानुसार कम व्यय और कम विलम्ब वाला बना कर सुचारू रूप से चलाया जा सकता है या नहीं । हमारे जैसे स्वतंत्र देश में वर्तमान सचिवीय व्यवस्था जहां अवर सचिव उप-सचिव, संयुक्त सचिव तथा सचिव हैं, की आवश्यकता नहीं है । यह व्यवस्था अंग्रेजों ने की थी क्योंकि उन्हें भारतीय लोगों पर विश्वास नहीं था । परन्तु आजकल दोहरी जांच की जरूरत नहीं है । हमें वर्तमान प्रक्रिया को समाप्त करना होगा । इसके लिए हम अनुभवी देशों की प्रक्रिया को अपना सकते हैं ।

चूंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है इसलिए मैं एक और बात कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । यह बात गृह-स्थानों के बारे में है । गांव के लोगों तथा समाज के दुर्बल वर्गों के लिए गृह-निर्माण का बहुत महत्व है । गृह-निर्माण सम्बन्धी सारा कच्चा माल देश में उपलब्ध है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि गृह-निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम को

पंचायत स्तर से आरम्भ क्यों नहीं किया जा सकता । गृह-निर्माण उद्योग में लकड़ी के काम तथा तरखान के काम का बहुत महत्व है । हम आवश्यक कारीगरों को प्रशिक्षण दे सकते हैं । मुझे यकीन है कि हमारे यहां बहुत सी पंचायतों में 50 से अन्मून कारीगर नहीं होंगे । यदि हम एक पंचायत में एक वर्ष में लगभग 100 कारीगरों को भी प्रशिक्षण दे देंगे तो हमें केन्द्रीय सरकार से धन लेने के लिए इन्तजार करने की कोई जरूरत नहीं । हमारे पास कच्चा माल भी उपलब्ध है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कारीगर तथा कच्चा माल उपलब्ध होते हुए हम इस कार्यक्रम को पूरे वेग से शीघ्र क्यों नहीं चला सकते । हमारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी । ऐसा करने से आगे चल कर हम दुर्बल वर्गों के हित को बढ़ावा दे सकेंगे ।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि प्रधान मंत्री द्वारा घोषित इस 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की दिशा में सही कदम उठाए गए तो हमारा देश समाजवादी समाज प्राप्ति के उद्देश्य की दिशा की ओर तेजी से बढ़ता जाएगा ।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): Mr. Chairman Sir, the opposition parties which include monied people also, have formed a rightist front. They are the persons who are in league with industrialists. They want to kill democracy. They are the persons who stood in the way of development of the country. Now Government has decided to curb those elements. Under this 20 point economic programme. The Government deserves congratulations for taking steps to check inflation. The inflation has been checked and the prices have also been slashed. The money has also been squeezed. There was widespread misuse of the licences which were given to big business house and monopoly houses. These licences were lying with them and were unused. These were sold at a big premium. The Government should look into this matter and should take steps to remove this evil.

My second point is about urban vacant land. There are people who have grabbed land belonging to rehabilitation department or panchayats. They have constructed houses on such land. This land should be restored to the Government.

It is a good thing that fifty lakh acres of new land will come under irrigation. It is also good that the amount for medium and major irrigation projects has been raised from 385 crores to 466 crores. But more amount should be allotted to those projects which are likely to be completed shortly. We had recommended that small thermal power stations should be installed. It would be better if we have a national power grid. But in those States where coal is in abundance thermal power stations should be established. Such power stations can generate power within a short time. Power should be given high priority under the present scheme of things.

I would also like to express my views regarding food situation. If we want to solve food situation we will have to implement land reforms. It can only be solved if we are able to implement land reforms. People have been evading the land ceiling laws. I have twenty two acres of land and under the law I will have to surrender four acres and a half. But people have transferred all

their lands in the names of their relatives, living or dead. Therefore, my submission is that a physical verification should be made. By verification bogus transfers will come to light.

Small and medium industries should not be centralised in places like Delhi, Calcutta and other big cities. Such industries should be decentralised. Steps should be taken to shift such industries to rural areas. This would provide employment to people living in rural areas.

The land belonging to tribals and scheduled castes, has been taken away by non-tribals and other people. In Bihar, Andhra Pradesh and U.P. thousands of acres of land belonging to Panchayats has been taken away by the people. These lands should be restored to Panchayat and their legitimate owners.

The paradoxical thing is that cotton is being imported while it is not being procured by the Cotton Corporation of India. Under such circumstance what will be the position of growers of cotton in the country.

Government should pay attention to the lower wings of administration. Committed people who have faith in socialist transformation should be entrusted with the task of implementing this programme.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, प्रधान मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक कार्यक्रम का सम्पूर्ण भारत में स्वागत किया गया है । अतः लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह महसूस करता हूं कि इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है ।

भिन्न-भिन्न राज्यों की भिन्न-भिन्न समस्यायें होती हैं । मध्य प्रदेश का निवासी होने के कारण मैं सरकार का ध्यान वहां की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मध्य प्रदेश में जब भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून बनाया जा रहा था तो ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि गरीबों को बांटने के लिए 68,000 एकड़ फालतू भूमि उपलब्ध हो जाएगी । परन्तु अब मुश्किल से 12,000 एकड़ भूमि उपलब्ध होने की आशा की जा रही है । बाद में इस में और भी कमी हो सकती है । ऐसा क्यों और कैसे हुआ यह बात सोचनीय है । सरकार को इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । वस्तुस्थिति यह है कि लोगों ने अपनी जमीन को कानूनी दस्तावेजों द्वारा जीवित अथवा मृत व्यक्तियों के नाम पर दर्ज करा लिया है । भूमि हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार मध्य प्रदेश के आदिवासी लोग अपनी जमीन को हस्तांतरित नहीं कर सकते थे किन्तु फिर भी उन्होंने हजारों एकड़ भूमि अनुमति लिए बिना दूसरों के नाम हस्तांतरित कर ली है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें ।

इस के बाद मैं अपने विचार गृह स्थानों के सम्बन्ध में व्यक्त करना चाहता हूं । मुझे अपने राज्य का पता है तथा मैंने वहां पर देखा है कि गृह स्थानों का नियतन केवल कागज पर ही होता है । यदि आप वहां पर जा कर लोगों से पूछें तो पता चलता है कि उन्हें यह मालूम ही नहीं होता कि उनके नाम गृह स्थान कर दिया गया है । परन्तु यदि उसे पता चल भी जाए तो जिस व्यक्ति ने उस पर कब्जा किया होता है वह उससे खाली

नहीं करवा सकता । अतः यह अधिकारियों का कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे लोग वहां पर जा कर सम्बन्धित व्यक्तियों को कब्जा दिलाएं और उनको परेशानी से बचाएं । इसके अलावा मैं समझता हूं कि केवल गृह स्थान देने से भी काम नहीं चलता क्योंकि उन लोगों के पास उन गृह स्थानों पर मकान बनाने के लिए धन नहीं होता । इसलिए उनके निर्माण कार्य के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

ग्राम्य ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है । कानून बनाए जा रहे हैं । परन्तु मेरा सुझाव यह है कि कर्ज देने का ढंग बदला जाना चाहिए। कर्ज देने वाला व्यक्ति जेवर रखकर कर्ज देता । यदि किसी जरूरतमन्द के पास केवल जमीन है तो पैसा देने वाला व्यक्ति उसकी जमीन के विक्रय सम्बन्धी दस्तावेज रख लेता है। जेवरात की रसीद नहीं दी जाती । अतः यह जो कानून पास किया जा रहा है इससे ऋणग्रस्तता दूर नहीं की जा सकेगी । यदि हम ऋणग्रस्तता को सचमुच दूर करना चाहते हैं तो हम इस प्रकार रहन रखे गए जेवर या जमीन ऋण देने वाले व्यक्तियों से लेकर कर्जदार व्यक्तियों को वापस दिलानी होगी ।

जहां तक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि शहरी क्षेत्रों तथा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर कहीं भी वितरण प्रणाली नहीं है । मध्य प्रदेश में 100 गांवों के लिए मुश्किल से एक सस्ते मूल्य की दुकान होगी । इसलिए हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि सभी छोटे तथा बड़े बाजारों में अधिक दुकानें हों, हर दुकान 1000 से 1500 लोगों की आवश्यकता को पूरा करे तथा यह प्रत्येक व्यक्ति के निवासस्थान से 2 से 4 किलोमीटर की दूरी के भीतर हो ।

सिंचाई सुविधाओं के लिए बड़ी-बड़ी परियीजनाएं आरम्भ की गई हैं । उनके लिए धन जुटाया जा रहा है तथा वे पूरी भी हो जाएंगी । परन्तु उन्हें पूरा करने के लिए कुछ समय लगेगा । अतः फिलहाल छोटी परियोजनायें आरम्भ की जानी चाहिएं जिन्हें 2 या 3 महीनों के अन्दर पूरा किया जा सके ।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : मैं प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम का स्वागत करता हूं । परन्तु इस में देखने वाली चीज यह है कि इसे सही ढंग से क्रियान्वित किया जाए ।

मैं समझता हूं कि अनिवार्य वस्तुओं का व्यापार गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए। इन्हें सरकारी वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ही लाया जाना चाहिए । मैं महसूस करता हूं कि जो व्यापारी आज इन वस्तुओं को बेच रहे हैं वे अपने स्टाक को पूरा नहीं करते । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर स्थान पर लोगों के लिए अनिवार्य वस्तुओं का स्टाक उपलब्ध हो ।

राज्यों में बिजली परियोजनाओं को बहुत धीमी गति से क्रियान्वित किया जा रहा है । मेरे राज्य में लोवर जेहलम तथा और परियोजनाएं बहुत मन्द गति से चलायी जा रही हैं । कई वर्ष पूर्व से आरम्भ हुई थीं परन्तु अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं । सलाल परियोजना

एक केन्द्रीय परियोजना होगी । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात को देखे कि इन परियोजनाओं को तीव्र गति से कार्यान्वित किया जाए । केन्द्रीय सरकार को यह भी देखना चाहिए कि सुपर तापीय परियोजनाओं की क्रियान्विति का कार्य आगे बढ़े । राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना भी शीघ्र की जानी चाहिए । केन्द्रीय सरकार को बिजली उत्पादन तथा वितरण पर अधिक नियंत्रण रखना चाहिए । इसे केवल राज्यों पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए ।

भूमि की अधिकतम सीमा की स्थिति भी विचित्र सी है । पहली बात तो यह है कि भूमि उपलब्ध ही नहीं होगी परन्तु यदि यह उपलब्ध हो तो इसे प्राथमिकता के आधार पर बांटा जाना चाहिए । इसके साथ लोगों को कुछ सुविधायें भी मिलनी चाहिएं हमें ग्राम्य ऋणग्रस्तता को मिटाने के लिए भी कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा । आजकल ऋण इस आधार पर दिया जाता है कि कोई व्यक्ति ऋण दिए जाने योग्य है अथवा नहीं । इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि ऋण आवश्यकता के आधार पर दिया जाना चाहिए न कि ऋण दिए जाने सम्बन्धी योग्यता के आधार पर ।

मेरे राज्य में फलों का उत्पादन बहुत होता है । परन्तु वहां पर फल परिरक्षण एकक नहीं है । गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल एक ही फल परिरक्षण एकक है । उस एकक का मालिक लाखों रुपए कमा रहा है । अतः सरकार को वहां पर एक विशाल परि-रक्षण संयंत्र खोलना चाहिए ।

मेरे राज्य में हथकरघा उद्योग की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए । पहले वहां पर भेड़ों की कमी न थी परन्तु अब हो गई है । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हमें सोवियत संघ से भेड़ें मंगा कर वहां पालनी चाहिएं । इससे कश्मीर के लोगों को कुछ सहायक व्यवसाय प्राप्त हो जाएगा । भेड़ों की कमी चरागाहों की कमी के कारण हुई है । इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस सम्बंध में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए ताकि कश्मीर में बेहतर चरागाह बनाए जा सकें ।

नियंत्रित मूल्य का कपड़ा भी सम्पूर्ण भारत में उपलब्ध नहीं होता है । यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए । सरकार को खाली प्लाट लेते समय आजकल का मूल्य नहीं देना चाहिए बल्कि वह मूल्य देना चाहिए जो 15 या 20 वर्ष पहले था । वन सरकार की सम्पदा है । परन्तु सरकार वन ठेके पर दे देती है तथा ठेकेदार इस वन सम्पत्ति से बहुत धन कमा रहे हैं । तथा सरकार को घाटा हो रहा है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार का वनों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए तथा वन ठेके पर नहीं दिए जाने चाहिएं । इस सम्बन्ध में हाथी समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्रियान्वित की जानी चाहिएं ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सट (कोजीकोड): मुझे इस बात की खुशी है कि आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद सरकार देश के आर्थिक विकास की ओर अधिक गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे रही है तथा प्रधान मंत्री ने अपना 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम पेश कर दिया है । जो बहुत ही उत्साह-जनक और आशाजनक है । गत 25 वर्षों में हमने योजनायें बनाई, परन्तु सुधार नहीं हुआ । योजना के बावजूद लोगों के रहन सहन में कोई फर्क नहीं पड़ा तथा गरीबों की कठिनाइयां दूर

नहीं हुई । ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तथा निश्चित आय वाले लोगों की हमेशा अवहेलना की गई है । लोगों को दो तीन वर्षों से मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि आदि का सामना करना पड़ रहा है । परन्तु आज सरकार के पास सामाजिक उद्देश्यों को देखते हुए उचित योजना बनाने के लिए सभी शक्तियां हैं । हमारे देश में ऐसा पहली बार हो रहा है । यद्यपि आपात स्थिति में लोकतंत्रीय अधिकार कम कर दिए जाते हैं परन्तु कीमतें कम करके जनसाधारण को राहत देकर कड़े कानून और आपात स्थिति भी लोकप्रिय हो सकती है । यद्यपि मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं । परन्तु फिर भी कह सकता हूं कि देश को कायम रखने के लिए आर्थिक समानता भी उतनी ही जरूरी है जितनी राजनीतिक समानता । हमारे देश के निर्धन वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों को अभी यह आर्थिक समानता प्राप्त नहीं हुई है । परन्तु 1 जुलाई, 1975 को प्रधान मंत्री द्वारा उद्घोषित आर्थिक कार्यक्रम में वर्तमान आर्थिक स्थिति के प्रति सही और साहसपूर्ण दृष्टि-कोण अपनाया गया है ।

आज हमारे देश में एक बहुत ही विचित्र स्थिति है। एक ओर तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ रुपए लगा कर मकान खड़े किए हुए हैं तथा दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं है । उन के पास मकान नहीं है और पटरियों पर सोते हैं। हमने आज के समाचार पत्र में पढ़ा है कि आयकर अधिकारियों ने महारानीबाग में छापा मारा और एक मकान में उन्हें 4 टेलीविजन, 8 से 10 तक वातानुकूलन मशीनें, 5 आयातित कारें तथा चार फ्रिज मिले । दूसरी ओर लाखों लोगों को खाने को भोजन और पीने को पानी नहीं मिल रहा है । इस स्थिति का अन्त होना चाहिए । चोरबाजारियों, तस्कर व्यापारियों, जमाखोरों तथा समाज विरोधी तत्वों, जो देश को इस स्थिति में पहुंचाने तथा आम जनता के कष्टों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए ।

मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि आय कर छूट की सीमा बढ़ाई गई है। मैं समझता हूं कि भूतलिंगम समिति ने सिफारिश की थी कि आयकर छूट सीमा 6,000 रुपए से बढ़ा कर 7,500 रुपए की जानी चाहिए । समिति की रिपोर्ट आने के बाद मूल्य और बढ़ गए हैं । अतः मेरा यह सुझाव है कि इस सीमा को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक किया जाना चाहिए ।

विद्यार्थियों को होस्टलों में आवश्यक वस्तुएं नियंत्रण दरों पर उपलब्ध कराने का भी फैसला किया गया है । मैं समझता हूं कि यह सुविधा मुख्य औद्योगिक नगरों में रहने वाले श्रमिकों को भी उपलब्ध की जानी चाहिए ।

मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय विकास में जनता के सभी वर्गों, विशेषकर अल्पसंख्यक वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्गों में सहयोग की भावना होनी चाहिए । उन में उपेक्षा और निराशा की भावना नहीं होनी चाहिए । ऐसी भावना राष्ट्रीय हित में नहीं है । सरकारी क्षेत्र में हजारों उद्योग खोले गए हैं। सैंकड़ों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। परन्तु इन परियोजनाओं और बैंकों में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की प्रति-शतता बहुत कम है ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन आर्थिक कार्यक्रमों को दयानतदारी से क्रियान्वित किया जाएगा। इससे अल्पसंख्यक वर्गों की कठिनाइयां भी दूर हो सकेंगी।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु): सभापति महोदय, इस आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था। मैंने वहां के बहुत से गांवों का दौरा किया। वहां पर कृषि श्रमिकों से मेरी विशेषकर भेंट हुई। लोग बहुत प्रसन्न हैं तथा वे राष्ट्र को इस संकट से बचाने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति बहुत आभारी रहेंगे।

हमारे देश में गत तीन सप्ताह से विशेष घटनाएं घटी हैं जिन के भविष्य में कुछ भी परिणाम निकल सकते हैं। इस आपात काल में सभी दल और पूंजीपति भी प्रधान मंत्री से प्रति दिन मिलते हैं और उनकी नीतियों के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हैं इस समय किसी का भी राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। भारत सरकार विदेशी बैंकों के कार्य का अध्ययन करे और जिन बैंकों के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि है उन के राष्ट्रीकरण पर विचार करे। वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए कि जन-साधारण की आर्थिक कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाये। इस आर्थिक कार्यक्रम में कोई नई बात नहीं है, परन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, उसकी क्रियान्विति को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इस समय तो केवल कांग्रेस दल तथा अन्य दलों के नेता हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं परन्तु भविष्य में वे व्यक्ति भी जो इस समय हिरासत में हैं, रिहा हो जाने पर हमारे साथ सहयोग करेंगे।

भूमि सुधारों के सम्बन्ध में पिछले कई वर्षों से कार्यवाही की जा रही लेकिन भूमि सुधारों की प्रगति बहुत धीमी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 70,000 एकड़ फालतू भूमि है लेकिन इतने वर्षों के दौरान भी उसका वितरण नहीं किया गया। जिन लोगों के निहित स्वार्थ हैं वे कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं। जब तक इस भूमि के वितरण हेतु पक्की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक वहां के भूमिहीन श्रमिक और मछियारे जो वहां सदियों से रह रहे हैं, संतुष्ट नहीं होंगे। यदि हम उन के लिए जल और बिजली की भी व्यवस्था कर दें तो वह इस 60,000 अथवा 70,000 एकड़ भूमि से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद हमें 10 लाख टन चावल देंगे।

बिजली उत्पादन खनिज संसाधनों का पता लगाने और उनके प्रयोग के लिए पूर्वापेक्षित है। इसलिए बिजली उत्पादन पर अधिक बल दिया जाए। आंध्र में कोयला संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः वहां पर सुपर तापीय बिजली घर की स्थापना की जानी चाहिए।

आन्ध्र में लेवी चीनी की कीमत 32 रुपए प्रति बोरी कम हो गई है। इससे सहकारी क्षेत्र के चीनी कारखानों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें इस कठिनाई से मुक्त कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): The agricultural labourers have been writing for the day when they will get land. The 20-point programme has shown a ray of hope for them.

It has been said that the surplus land in excess of the land ceiling will be distributed among the landless labourers. But the surplus land will not be available for the purpose as the big landlords, who were having surplus land in excess of the land ceiling, have already distributed that land among their relatives. The Government should in the first instance distribute the Panchayati land, pasture land and forest land among the landless labourers. The public land which has been occupied by the people in an unauthorised manner should be cleared of encroachments and distributed among the landless persons. The land distributed among the landless people has been given on lease basis and they are not its real owners. The State Governments should be asked to ensure that real ownership is granted to the landless people among whom the land has been distributed.

The money-lenders are still exploiting the agricultural labourers and their families. There are many cases in which these people had to do 'begar' to the money-lenders for many years but their loan could not be cleared off. The Government should take some measures which can help these people in getting rid of the money-lenders.

It has been announced that 50 regional banks will be set up to assist the indebted poor people, but this number is not adequate in view of the witness of the country. The landless Harijans and tribal people should be given some loan facility to enable them to earn their livelihood by doing some work.

The big land owners in Bundelkhand allowed some landless labourers to build houses on their land. If Government get these plots of land allotted to these labourers, their housing problem will be solved, as they have already built houses on these plots of land.

In Madhya Pradesh 7 lakh people have been provided with plots of land on lease basis for building houses, but actual occupation of these plots of land has not yet been given to them. The Government should look into this problem too.

It has also been stated that 50 big irrigation projects are going to be taken up, but it will take 15 to 20 years to complete these projects As such Government should take up small and medium irrigation projects.

The Government should also take measures for the supply of yarn to weavers in rural areas. Besides this, arrangements should also be made for marketing of the cloth produced by these weavers. The banks should be asked to provide loans on easy terms to these weavers.

श्री के० मायातेवर (डिन्डीगुल) : प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम स्वागत योग्य है । उन्होंने एक बहुत साहसपूर्ण कदम उठाया है । लोग अब इस योजना के क्रियान्वयन को आशा लगाये बैठे हैं ।

हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण निर्धन वर्गों, कृषकों तथा मध्यवर्गी व्यापारियों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से किया था लेकिन इस सम्बन्ध में हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई क्योंकि इन लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसी किस्म का ऋण नहीं मिला । राष्ट्रीयकृत बैंक बड़े जमींदारों और पूंजीपतियों को ऋण देते हैं । सरकार को देश भर के बैंकों के कार्य करण को

देखने तथा परामर्श देने के लिए एक अखिल भारतीय स्तर पर सर्वदलीय समिति अथवा लोगों की समिति बनायी जाये। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और जरूरतमन्द लोगों को ऋण देने के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर तथा ताल्लुक स्तर पर भी समितियां बनायी जायें।

तमिलनाडु में भूमि सुधारों को लागू नहीं किया जा रहा। वास्तव में इन वर्षों में भूमि की अधिकतम सीमा और भूमि सुधारों के नाम पर तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा किया गया है। सरकार को 1954 से 1975 तक हुई सभी छल पूर्ण तथा बेनामी सौदों को रद्द कर देना चाहिए। सरकार सारे मामले पर पुनर्विचार करे और कुछ फालतू भूमि प्राप्त करके भूमिहीन गरीबों में बांटे।

सरकार को शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा लगाने का कार्य भी तेजी से करना चाहिए। सरकार को बड़े पूंजीपतियों को मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास मुआवजा देने के लिए धन नहीं है। अतः संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था की जाये कि सरकार शहरी क्षेत्रों की अधिग्रहीत की गई विभिन्न सम्पत्तियों के लिए कोई मुआवजा न दिया जाये।

सरकार को इस 20 सूत्री कार्यक्रम को राज्य सरकारों के जरिये क्रियान्वित करना होगा। तमिलनाडु सरकार ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा तथा 20 सूत्री कार्यक्रम का विरोध किया है। ऐसी सरकार किस प्रकार 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहायक हो सकती है। सरकार को तमिलनाडु सरकार को अपदस्थ कर देना चाहिए और एक केन्द्रीय एजेन्सी के जरिए वहां यह 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित करना चाहिए।

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का देश भर में बड़े उत्साह से स्वागत किया गया है।

[श्री इसहाक साम्भली पीठासीन हुए।]

(SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the chair*)

कार्यक्रम का सार उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम को अविलम्ब लागू करने के बारे में उल्लेख किया गया है। अविलम्बनीयता की भावना के साथ अनुशासन के वातावरण की भी आवश्यकता है, तभी इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन सम्भव है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा ने हमारे लिए इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उचित वातावरण तैयार किया है।

वर्ष 1974 के दौरान हमारे देश में मूल्य वृद्धि सब से अधिक हुई है। सरकार ने इस स्थिति का सामना करने के लिए कई उपाय भी किये जिनके परिणाम स्वरुप न केवल मुद्रास्फीति ही रुकी वरन् मूल्यों में भी कमी हुई। यह एक असाधारण विकास है।

मूल्यों को हम तभी कम कर सकते हैं जब उत्पादन में वृद्धि हो। ऊर्जा क्षेत्र का, विशेष कर बिजली और कोयले की विकास दर ऊंची करने में महत्वपूर्ण स्थान है। ऊर्जा मंत्रालय अपना अपेक्षित योगदान करने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा।

ऊर्जा संकट ने विश्वभर के लोगों को ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का पता लगाने पर विवश कर दिया है। भाग्यवश हमारे देश में प्रचुर कोयला संसाधन मौजूद है और इस परिवर्तित स्थिति में आगामी दशाब्दियों में कोयला ऊर्जा का प्रमुख साधन होगा। अतः कोयले के प्रयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि कोयले द्वारा बिजली ऊर्जा की सबसे अधिक सुविधाजनक किस्म है और बिजली को भी ऊंची प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन साथ ही हम अन्य देशों की भांति ऊर्जा के गैर-पारस्परिक स्त्रोतों जैसे सौरमंडलीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंगों तथा वायु द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सुव्यवस्थित अनुसंधान और विकास कार्यक्रम की आवश्यकता है। इस दिशा में प्रगति की समीक्षा करने के लिये सरकार ने एक समिति की स्थापना की है। देश में ऊर्जा अनुसंधान को समन्वित करने के लिए यह पहला प्रयास है।

पिछले कुछ वर्षो से तापीय बिजली तथा उपयोग क्षमता में निरन्तर सुधार हो रहा है। हमारी कोशिश यह है कि तापीय बिजली घरों से हमें अधिकतम बिजली उपलब्ध हो।

वर्ष 1974–75 के दौरान 1970 मैगावाट बिजली का उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष यह केवल 466 मैगावाट था। चालू वर्ष के प्रथम तीन महीनों के दौरान बिजली उत्पादन की दर पिछले वर्ष के इन्हीं तीन महीनों के मुकाबले 18 प्रतिशत बढ़ी है। पिछले वर्ष पन-बिजली के सम्बन्ध में हमें कुछ कठिनाइयां हुई हैं। बड़ी पन-बिजली योजनाओं जैसे भाखड़ा-नांगल, कोयना आदि बड़े पन-बिजली घरों में भी बिजली का उत्पादन सामान्य स्तर से कम हुआ है।

भाग्यवश अब तक देश के सभी भागों में मानसून अच्छी हुई है। इससे पन-बिजली उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। पन-बिजली में सुधार और तापीय बिजली के अधिक उत्पादन से देश में बिजली की उपलब्धि काफी सुधरी है। पिछले वर्ष कई राज्यों में भारी मात्रा में बिजली कटौती की गई थी। अब उन राज्यों में यह कटौती बन्द करदी गई है। चालू वर्ष के दौरान हमारा विचार 2600 मेगावाट की नई क्षमता जोड़ने का है। साथ ही हमारा प्रयास निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का है।

यद्यपि बिजली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। फिर भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही हमने एक प्रबोधक प्रणाली शुरू की है जिसके द्वारा हम सारे देश में बिजली उत्पादन पर निगाह रखेंगे। देश में प्रत्येक यूनिट से हमें रोज बिजली उत्पादन की रिपोर्ट मिलती है। इस प्रकार सभी तापीय बिजली घरों के उत्पादन के बारे में हमें पता चलता रहेगा। हमने राज्य सरकारों से भी इस प्रकार के प्रबोधक यूनिट बनाने के लिए कहा है ताकि कठिनाइयों के उत्पन्न होने पर कार्यवाही की जा सके।

हम केन्द्र तथा राज्यों में संगठनात्मक व्यवस्थाओं में भी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है। साथ ही हम केन्द्रीय विद्युत्त प्राधिकरण को सक्रिय और सजीव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

तारों की चोरी, ट्रांसमिशन पुर्जों की चोरी तथा कुछ मामलों में ट्रांसमिशन टावरों के पुर्जों की चोरी के बारे में उल्लेख किया गया है। यह एक अत्यन्त राष्ट्रविरोधी गतिविधि है। सम्बद्ध प्रशासन द्वारा इस बारे में कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। जिन सदस्यों के क्षेत्रों में यह कदाचार व्याप्त है, उन्हें इस समस्या का समाधान करने के लिए जनता से सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

शक्तिशाली राष्ट्रीय ग्रिड के निर्माण हेतु हम शक्तिशाली प्रादेशिक ग्रिडों के विकास पर विचार कर रहे हैं। आज भी बिजली दूर-दराज तक बड़ी तेज गति से जाती है, फिर भी कुछ लिंक बहुत कमजोर हैं। इसीलिए हम प्रादेशिक ग्रिडों का पहले विकास कर रहे हैं। उत्पादित बिजली के पूर्ण उपयोग के लिए शक्तिशाली प्रादेशिक ग्रिडों और राष्ट्रीय ग्रिडों की बहुत आवश्यकता है ।

लाइन क्षति का भी उल्लेख किया गया है। बिजली उत्पादन में वृद्धि के साथ लाइन क्षति को कम करना तथा ट्रांसमिशन में सुधार करना बहुत जरूरी है । अतीत में भी बिजली उत्पादन की अबिलम्बनीयता को देखते हुए ट्रांसमिशन और वितरण-लाइनों की ओर ध्यान नहीं दिया गया । आखिर इन लाइनों की भी कुछ क्षमता होती है और अगर इनकी क्षमता से अधिक इन पर बोझ डाल दिया जाये तो ट्रांसमिशन क्षति में वृद्धि हो जाती है । सभी प्रदेशों में प्रादेशिक 'लोड डिस्पैच' स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में हम ने इस काम की देखभाल के लिए एक प्रणाली बनायी है । डा० सूर्य नारायण तथा अन्य मित्रों ने उल्लेख किया है कि कोयला खानों के मुहानों पर सुपर तापीय बिजलो घर स्थापित किए जाएं । यह विचार काफी पहले से रखा-जा रहा है । हमने विश्व बैंक के समक्ष कई परियोजनाएं रख कर इस मामले की शुरूआत की है । वित्त मंत्री ने विश्व बैंक के समक्ष पांच परियोजनाएं रखी हैं तथा विचार-विमर्श किया है और उन में से एक आन्ध्र प्रदेश में होगी । किन्तु संभावना ऐसी है कि चार परियोजनाओं की स्वीकृति दी जायेगी । धन उपलब्ध होने पर इन्हें शीघ्र आरम्भ कर दिया जायेगा ।

बहुत से मित्रों के इस सुझाव को, कि बिजली का सभी उत्पादन केन्द्रीय क्षेत्र में ही किया जाए, स्वीकार करना कठिन है । किन्तु यह ठीक है कि केन्द्रीय क्षेत्र में बिजली का और अधिक उत्पादन किया जा सकता है और राज्य भी इस ख्याल के खिलाफ़ नहीं हैं कि केन्द्रीय क्षेत्र में बिजली का अधिक उत्पादन किया जाए। हम केन्द्रीय क्षेत्र में सुपर ताप बिजली घरों की स्थापना कर रहे हैं।

हमारा बिचार पन बिजली परियोजनाएं भी आरम्भ करने का है और इसी लिए हम ने विश्व बैंक के समक्ष ये परियोजनाएं रखी थीं किन्तु उसकी मुख्य रूचि सुपर ताप बिजली घरों में प्रतीत होती है ।

विद्युत् कार्यक्रम में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का यह महत्वपूर्ण स्थान है । ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 976 योजनाओं की मंजूरी दे दी है जिन के लिए 445.58 करोड़ रुपए ऋण की सहायता दी जायेगी । और इनसे 83172 गांवों में बिजली चली जाएगी । हमारी कोशिश इन कार्यक्रमों को द्रुत गति से चलाने की है ।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयकरण के पश्चात् और विशेषकर पिछले वर्ष कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । इस वृद्धि से देश की विकास दर में वृद्धि होती है । पांचवीं पंच वर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए हम इससे एक अधिक कारगर उद्योग के रूप में पुनर्गठित करने और इस संबंध में एक दीर्घ कालीन दृष्टिकोण अपनाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा, कोयला उद्योग में उत्पादन, उत्पादिता

तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए हम एक 12 सूत्री कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं ; इन तीन मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति से न केवल हमारी अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताएं ही पूरी होंगी अपितु हम कुछ कोयला भी निर्यात कर सकेंगे ।

गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोयले का उत्पादन लगभग एक लाख टन प्रतिमास अधिक हुआ । मैंने यह देखा है कि हर वर्ष इस दौरान कोयले का उत्पादन अधिकतम होता है और फिर एकदम वह गिर जाता है और बरसात के बाद फिर उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है । ऐसा उतार-चढ़ाव इस उद्योग में चलता रहता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमने वर्ष 1975–76 के लिए 9 करोड़ 8 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है जो संभवतः पूरा हो जायेगा। किन्तु हमारी कोशिश उत्पादन को इस से भी अधिक बढ़ाने की रहेगी ।

उत्पादन में वृद्धि तथा रेल परिवहन में सुधार के कारण कोयला उपभोक्ताओं की स्थिति सुधार गई है अर्थात् सप्लाई में सभी जगह सुधार हुआ है । आज इस्पात कारखानों बिजली घरों आदि के पास लगभग चार सप्ताह के लिये कोयले का स्टाक जमा है जब कि पिछले वर्ष स्थिति यह थी की उन्होंने इस सम्बन्ध में मदद के मुझ से कई बार अनुरोध किया था । सप्लाई में इस वृद्धि के बावजूद मुहाने पर कोयले का स्टाक बढ़ गया इससे पता चलता है कि देश में कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरी करने के बाद भी उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

आम आदमी द्वारा घरों में प्रयोग किये जाने वाले सौफ्ट कोयले के उत्पादन को हमारा विचार 33 प्रतिशत बढ़ाकर 28 लाख टन से 37 लाख टन करने का है । हम इस कोयले के मामले में रेल परिवहन को अधिक वरीयता देना चाहते हैं क्योंकि सड़क परि-वहन काफी महंगा है । हम चाहते हैं कि इस कोयले का मूल्य कम से कम जितना हो सके उतना रखा जाये । अन्य कोयले के मामले में सरकार ने उसकी कीमत जुलाई, 1975 से 17.50 रू० बढ़ा दी है । हमने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने के ख्याल से सौफ्ट कोयले का मूल्य नहीं बढ़ाया है, हालांकि दूसरे किस्म के कोयले का मूल्य बढ़ा दिया है ।

आपात काल के दौरान हम उत्पादन तथा उत्पादिकता बढ़ाने में कहां तक तथा कैसे एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं, इस इरादे से मैं हाल में कार्मिक संघ नेता से मिला था, इस उद्योग में मजदूर लोग फालतू भी हैं जिनका हम इस प्रयोजनार्थ अधिकाधिक ढंग से प्रयोग कर सकते हैं । इस में कार्मिक संघों ने पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं ।

जहां तक पुनर्गठन का प्रश्न है, हम शक्तियों का विकेन्द्रीकरण एवं प्रत्यायोजन करना चाहते हैं । और यदि संभव हो सका तो प्राधिकरण की संख्या भी कम करना चाहते हैं चूंकि आज भारत किंग कोकोल माइनिंग कोल और कोल माइनिंग एथारिटी अलग-अलग हैं। हमारा विचार यह देखने का है कि यदि इन दोनों को मिला दिया जाये तो क्या वह कोयला उद्योग के लिए सामूहिक हित की बात होगी ।

कोयला उद्योग में व्याप्त कमियों के बारे में कई प्रश्न उठाये गये हैं जिन के बारे में इस समय मैं केवल यही कह सकता हूं कि कोयला उद्योग के सभी पहलू हमारे तथा राज्य सरकार के समक्ष हैं और केन्द्रीय सरकार तथा कार्मिक संघों की आज संयुक्त प्रयत्न कोयले का उत्पादन बढ़ाने, उत्पादिता में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने का है कि आपात स्थिति में ऊर्जा क्षेत्र अपना दायित्व ठीक तरह से निभाये और भविष्य के लिए भी नींव रखे ताकि 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने में हमारा भी उचित योगदान हो।

सभा की बैठकों के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Sittings of the House

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करना चाहता हूं कि सभा की बैठकें 5, 6 और 7 अगस्त 1975 को भी होंगी ।

आर्थिक प्रगति के नये कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्ताव—जारी

MOTION *RE.* NEW PROGRAMME FOR ECONOMIC PROGRESS—CONTD.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): The Congress has from time to time declared and drawn up economic programmes for the welfare of the people in the country. In 1971 the country gave a massive mandate to the Congress Party because the people felt that the Prime Minister would do something to ameliorate the lot of the down-trodden. But certain reactionary elements in the country had since then been standing in the way of implementation of these economic programmes aimed at the development of the country.

In the task of increasing agricultural production, the farmers have cooperated with the Government. Our agricultural production which was 52 million tonnes in the year 1952 has almost doubled today. But there has not been corresponding increase in the industrial production because the industrialists and businessmen were motivated by profit and were not concerned with the development of the country. But we have not made any industrial progress. The industrial production which should have gone up by 4 to 6 per cent every year has come down due to vested interests.

Taking advantage of bad economic situation certain opposition parties tried to mislead the people. The very fact that 95 per cent people welcomed the emergency shows that the people are not with the reactionary elements. The people are now looking forward to the implementation of the 20 point economic programme.

Much progress was made in the work of providing house sites to the poor people. But these people do not have money to build their houses. So the Government should change their policy and give them built houses and realise the money in instalments so as to make this programme a success.

The hon. Minister of Energy has said just now that much progress was made in the generation of power. But the benefit of this achievement should now reach the farmers who are badly in need of power for their cultivation. There was a programme of power generation for six eastern districts of Rajasthan but

it could not be implemented due to paucity of funds. If this programme is implemented Rajasthan would be able to produce a lot of foodgrains even more than its requirements.

As regards people's cloth the textile mills have not produced the requisite percentage of controlled cloth. Whatever cloth of this variety they have produced is of low quality. They are motivated by profit and have not fulfilled their promise. The industrial sector is not cooperating with the Government in the matter of production. They are still exploiting the situation and this should not be allowed to be done. The Government should keep a strict watch on their performance. The matter needs attention.

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj): The 20 point economic programme has been welcomed by the people. We have more than 80 per cent population in rural areas and this programme has rightly paid special attention to the condition of people in rural areas. The implementation of this programme will definitely provide relief to the downtrodden people.

Steps should be taken to see that the programme is implemented in right spirit. For the purpose, the Government machinery which has to play an important role in the implementation has to be geared up and streamlined. We should bring our bureaucracy in time with needs of our people. All sectors of our industry and all sections of our society have to cooperate to make this programme a success.

After the emergency, the prices have started coming down. It is learnt that stockists of various commodities were conspiring not to replenish their stocks and allow their existing stocks to be exhausted, similarly factory owners were also conspiring not to increase their production. The Government should make suitable amendments in the D.I.R to deal with these people effectively so that the present rate of production could not go down and the common people are not put to hardship.

The Government should set up a committee to keep a strict watch on the prices of essential commodities Prices of essential commodities should be fixed put to hardship.

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कई सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई इच्छा, कि इस पर और चर्चा की जाये, को देखते हुए मैंने वित्त मंत्री से परामर्श किया और वह सहमत हो गये हैं कि सोमवार को अन्य अविलम्ब कार्य निबटाये जाने के पश्चात् इस विषय पर चर्चा जारी रखी जाये।

Shri M. C. Daga (Pali): We have to gear up our administrative machinery if we want to implement the 20 point programme sincerely to carry on campaign against poverty, unemployment and backwardness on war footing. No doubt, in the initial stage, we may face difficulties but we can soon overcome them if we tone up our administrative machinery to work efficiently and honestly. Honest and efficient officers should be given incentive by way of promotion etc.

Mr. Chairman: The hon. Member may continue his speech tomorrow. The house now stands adjourned.

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 4 अगस्त, 1975/13 श्रावण, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 4, 1975/Sravana 13, 1897 (Saka).

GMGIPND--L—1303LS—27-9-75—2.00

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 274(16)
DATE 3.10.75

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc., in English/Hindi]

1276 LS—1.